रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No. ...
Date ...
GOVT. OF INDIA.

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 1996 (चैत्र 3, 1918)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 1996 (CHAITRA 3, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बंबई, दिनांक 23 मार्च, 1996

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/ बी० /52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में जनवरी 1996 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गयी आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, बंबई को संसूचित करें। सूची दो भागों

में विभाजित की गयी है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गयी हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ ग्राम	नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/ भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
					6 5 प्रतिशत
		6.5 प्रतिशत ऋण 2005 (मुंबई फोर्ट सर्किल)			
बीवाय् 011101–03 3×25, 000/–	75,000/–	एस० जे० कोटक के० वी० कोटक और एस० के चटर्जी या इनमें से कोई दो व्यक्ति	1–4–1993	बाटली वाला और करानी	मामला सं० 20 04. 2002 महा प्रबंधक के दि० 1–1–96 के आदेश तथा केंका डायरी सं० 413 दिनांक 4–1–1996

सूची "ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ ग्राम	निम्न नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/ तथा भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार/रों का/के नाम	आदेश सं० एवं जारी करने की तारीख	लोक ऋण अधिनियम 1944 के अंतर्गत सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें प्रतिभूति पहली बार प्रकाशित की गयी थी
1	2	3	4	5	6	7
			9 प्रतिशत राहत बांड 1987 (कलकत्ता सर्किल)			
1. सी० ए० 001657	रु० 2, 00, 000/–	अलू इरॅकशॉ ड्राईवर और इरॅक धोमनजी ड्राईवर (अब मृत)	मार्च 1994 तक ब्याज का भुगतान किया	अलू इरॅकशॉ ड्राईवर		फाईल सं I-2509 दिनांक 20–12–95 के महा प्रबंधक के आदेश दिनांक 21–12–95 का डी वाई० सं० एस०सी० ओ० 108/95–96 के द्वारा
			3 प्रतिशत ग्राहक ऋण 1946 (कलकत्ता सर्किल)			
2. सी० ए० 355014	रु० 2,000/–	गिरिजा शंकर बैनर्जी	67 वीं अर्धवर्ष से भुगतान देय	गिरिजा शंकर बैनर्जी		फाईल सं० I-2364 दिनांक 22–12–95 के महा-प्रबंधक के आदेश दिनांक 23–12–95 का डीवाई सं० एल० सी० ओ० 109/ 95–96 के द्वारा

1	2	3	4	5	6	7
3.	सी० ए० 365972	रु० 1,000/-	गिरिजा शंकर बॅनर्जी	67 वीं अर्धवर्ष से भुगतान देय	गिरीजा शंकर बॅनर्जी	फाईल सं० I-2364 दिनांक 22-12-95 के महा-प्रबंधक का आदेश दिनांक 23-12-95 का डी० वाई० सं० एल० सी० ओ०/10/95-96 के द्वारा
			9 प्रतिशत राहत पत्र 1993 (नागपुर सर्किल)			
4.	एम० जी० 000005	रु० 50,000/-	में डी० एस० किबे (एच यू० एफ०)	12-9-1994	में डी० एस० किबे (एच० यू० एफ०)	उप महा प्रबंधक के देशअ-क्रं० जी 65 दिनांक 30-10 1995 के अनुसार
			3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण 1946 (कलकत्ता सर्किल).			
5.	सी० ए० 382285	रु० 5,000/-	मुकुमार मुखर्जी (मृत)	बहत्तरवीं छमाही से देय ब्याज	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुरी	फाईल सं० I-2511 महा-प्रबंधक के दिनांक 16 नवंबर 1995 के आदेशानुसार डी० वाई० सं० एल० सी० ओ० 77/95-96 दिनांक 16-11-1995

डी० सी० वाळलकर,
कृते मुख्य महा प्रबंधक

शुद्धिपत्रक

दिनांक 30 नवंबर, 1995 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित
की गयी गुमशुदा आदि आय० एफ० सी० बांडों की 30-6-95
को समाप्त अर्धवार्षिक सूची का शुद्धिपत्रक

क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक	ऋण का विवरण	त्रुटियों का स्वरूप
1. 2.	2269 2270	11 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड, 2003 (49वीं शृंखला)	(अ) हिन्दी प्रकाशन के 5 वें खाने में सुब्रमणियन यह नाम गलती से सुरबमणियन छपा है। (ब) हिन्दी प्रकाशन के 5वें खाने में मोहम्मद, सुब्र मणियम, नुरुद्दीन ये नाम गलती से मोहम्मा, सुरबमणियन, नरूद्दीन छपे है । (क) हिन्दी प्रकाशन के 6वें खाने में मामला 20-04-1989 गलती से 20-4-1989 छपा है ।
3.	2220	11.5 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड, 2009 (52वीं शृंखला)	हिन्दी प्रकाशन के 3 रे खाने में भारतीय रिजर्व बैंक यह नाम गलती से भारतीय रिजर्व बैंक छपा है।

के० एन० गांगुर्डे,
मुख्य महा प्रबंधक

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुम्बई, दिनांक 2 मार्च 1996

स. 8/1996—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक ने निम्नलिखित बैंकों के लिए उनके नाम के आगे लिखी लेखा परीक्षा फर्मों को लेखा परीक्षक नियुक्त किया है :

बैंक का नाम	लेखा परीक्षक का नाम
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	मैसर्स प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कं., 123-124, बापू बाजार, दूसरी मंजिल, उदयपुर । मैसर्स प्रसाद आजाद एण्ड कं., 7/7, देशबन्धु गुप्ता रोड, पहाड़ गंज, नई दिल्ली । मैसर्स एस. आर. गोयल एण्ड कं., 1-ए, सग्राम कालोनी स्कीम, जयपुर । मैसर्स डी. सिंह एण्ड कं., सी-97, पचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली ।
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	मैसर्स जी के राव एण्ड कं , 5-3-340, राष्ट्रपति रोड, हैदराबाद । मैसर्स एम. आर. मोहन एण्ड कं., 5-4-435/18, दूसरी मंजिल, नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद । मैसर्स डी. वी. रमना राव एण्ड कं., 1-1-773/ए, गाधीनगर, हैदराबाद । मैसर्स वरदाचारी एण्ड कं , 10, आबिद शापिंग सेंटर, चिराग अली लेन, हैदराबाद । मैसर्स धवन एण्ड गुलाटी, 302, कुसल बाजार, 32-33, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली ।
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	मैसर्स कक्कलिया एण्ड कं , 12, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली । मैसर्स के. एम. अग्रवाल एण्ड कं., 36, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली । मैसर्स एससीजे असोसिएट्स, 1/129, एफ पोकेमर्स कालोनी, हरिपर्वत, आगरा ।

बैंक का नाम	लेखा परीक्षक का नाम
	मैसर्स एस पी मारुवाहा एण्ड कं., 8 ए/4, वेस्टन एक्सटेंशन एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली ।
स्टेट बैंक आफ मैसूर	मेसर्स श्रीधर एण्ड सथानम, 98 ए, चौथी मंजिल, राधाकृष्णन सलाई, मायलापोर, मद्रास ।
	मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कं., 10 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता ।
	मेसर्स एम. सन एण्ड कं., फ्लैट 17, नं. 4 नार्थ बीच रोड, टी. नगर, मद्रास ।
	मेसर्स हरिहरन नारायण एण्ड कं., 4581, नरासिंहार्य मोहल्ला, 'गोमती', मैसूर ।
स्टेट बैंक आफ पटियाला	मेसर्स भूषण बंसल जैन असोसिएट्स, 4648/21, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली ।
	मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कं., 3071/4, गाल्फ मार्केट, गोलचा सिनेमा के पास, दरिया गंज, नई दिल्ली ।
	मैसर्स कंसल सिंगला एण्ड एसोसिएट्स, एस. सी. ओ. 1114-15, सेक्टर 22-बी, चण्डीगढ़ ।
	मैसर्स सुमेर बंसल एण्ड कं., 36, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली ।
	मेसर्स एस. के. भट्टाचार्य एण्ड कं., राजा चेंबर्स, (पहली मंजिल), 4, किरन संकर राय रोड, कलकत्ता ।
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	मैसर्स उबेराय सूद एण्ड कपूर, 606, विशाल भवन, 90, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।
	मेसर्स श्री रविवर्मा एण्ड कं., न. 1, कम्युनिटी सेंटर, पहली मंजिल, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली ।
	मेसर्स टी. के. घोष एण्ड कं., 6, किरोन सकर राय रोड, कलकत्ता ।
	मेसर्स रमेश सी अग्रवाल एण्ड कं., 33, शिवचरण लाल रोड, मानसरोवर सिनेमा के पास, इलाहाबाद ।

बैंक का नाम	लेखा परीक्षक का नाम
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	मैसर्स एगथीयार, 59, फोर्थ स्ट्रीट, अभिरामपुरम, मद्रास । मैसर्स जार्ज रीड एण्ड कं., 10, बैरिंगी रक्वेअर, एवेन्यू हाउस, कलकत्ता । मैसर्स अनन्तन एण्ड सुन्दरम, डी, 'शिवकथी' 123, संकर नगर, निरमंकरा, त्रिवेन्द्रम । मैसर्स एलियार जार्ज एण्ड कं., 40/6633, मुल्लासरी कनाल रोड, अर्नाकुलम, कोचीन ।

2. ये नियुक्तियां 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाली लेखावधि के लिए हैं, लेकिन उपरोक्त फर्मों को अब तक की सेवाओं सहित 4 वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा, बशर्ते कि वे निर्धारित मानदण्डों एवं अन्य सामान्य अपेक्षाओं का अनुपालन करें ।

आर विश्वनाथन
उप प्रबन्ध निदेशक
(सहयोगी एवं सहायक)

मुंबई, दिनांक 14 मार्च 1996

क्र. 9/1996.—भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 63 की उप धारा (1) तथा उप धारा (2) के अनुच्छेद (ण) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/ त्रावणकोर (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 को अनुलग्नक के अनुसार अपनाया है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं सहयोगी बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित है ।

केन्द्रीय निदेशक मंडल के आदेशानुसार

आर. विश्वनाथन, उप प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं सहायक)

अनुलग्नक

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995

पेंशन विनियम

प्रस्तावना

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की उप धारा (1) एवं उप धारा (2) के खण्ड (ठ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों/शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर के निदेशक बोर्ड से परामर्श करके एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमोदन पर स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/ इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर के कर्मचारियों के लाभार्थ पेंशन निधि की स्थापना एवं उसके अनुरक्षण हेतु निम्नलिखित विनियम बनाए हैं ।

अध्याय 1

भूमिका

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(क) इन विनियमों का नाम स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर / मैसूर/पटियाला /सौराष्ट्र/ त्रावणकोर (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1955 है;

(ख) इन विनियमों में, जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय ये विनियम 29-9-1995 से प्रभावी समझे जाएंगे ।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 अभिप्रेत है,

(ख) 'बीमांकक' का वही अर्थ होगा जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खण्ड (1) में है,

(ग) 'परिशिष्ट' से इन विनियमों से उपबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है,

(घ) 'औसत परिलब्धि' से किसी कर्मचारी द्वारा बैंक में अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान लिए गए वेतन का औसत अभिप्रेत है,

(क) 'बैंक' से, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर अभिप्रेत है,

(ख) 'बोर्ड' से बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है,

(ग) 'संतान' से कर्मचारी अभिप्रेत है जो, यदि वह पुत्र है तो पच्चीस वर्ष से कम आयु का है और यदि पुत्री है अविवाहिता है और पच्चीस वर्ष से कम आयु की है और 'बहुवचन में प्रयोग किया जाने पर इस संतान' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,

(घ) 'समुचित प्राधिकारी' से इन विनियमों के प्रयोजन हेतु बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ङ) 'समेकित मजदूरी' से वेतनमान मजदूरी न पाने वाले अधीनस्थ स्टाफ के अंशकालिक कर्मचारियों को एकमुश्त रकम अभिप्रेत है,

(च) 'अंशदान' से बैंक द्वारा कर्मचारी की ओर से निधि में जमा की गई राशि अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत ब्याज के रूप में जमा की गई कोई राशि शामिल नहीं है,

(छ) 'सेवानिवृत्ति की तारीख' से अभिप्रेत है उस माह की अंतिम तारीख, जिसको कोई कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है या वह तारीख जिसको बैंक द्वारा उसे सेवानिवृत्त किया जाता है या वह तारीख, जिसको कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या वह तारीख, जिस तारीख को अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ समझा जाता है,

(ज) 'सेवानिवृत्त समझा जाना' से केन्द्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5)/बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची के कालम 2 में विशेष रूप में उल्लिखित किसी भी बैंक या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्था या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (1955 का 23) या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 में परिभाषित किए गए अनुसार समनुषंगी बैंकों में पूर्णकालिक निदेशक या एकल निदेशक या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर बैंक की सेवा की समाप्ति अभिप्रेत है,

(झ) 'सेवा विनियमों' से स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर / हैदराबाद / इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के खण्ड अभिप्रेत हैं,

(ञ) 'कर्मचारी' से बैंक की सेवा में पूर्णकालिक कार्य के लिए स्थायी आधार पर या अंशकालिक कार्य के लिए स्थायी आधार पर वेतनमान पर नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसने इन विनियमों द्वारा शासित होने के विकल्प का प्रयोग किया है और इसमें विनियमों द्वारा शासित होता है, किन्तु संविदा आधार या दैनिक मजदूरी आधार पर या समेकित मजदूरी पर नियोजित व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं है,

(ट) किसी कर्मचारी के संबंध में 'कुटुंब' में निम्नलिखित अभिप्रेत है —

(1) पुरुष कर्मचारी की दशा में पत्नी और स्त्री कर्मचारी की दशा में पति,

(2) न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी, किन्तु यह पृथक्करण आचरण के आधार पर मंजूर नहीं हुआ है और उत्तरजीवी व्यक्ति आचरण का दोषी नहीं ठहराया गया है,

(3) पुत्र और अविवाहिता पुत्री, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है इसके अंतर्गत कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व वैध रूप से दत्तक लिया गया पुत्र या पुत्री है,

(ठ) वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है,

(ड) 'निधि' से विनियम 5 के अधीन गठित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर (कर्मचारी) पेन्शन निधि अभिप्रेत है,

(ढ) 'अधिसूचित तारीख' से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं,

(ण) 'वेतन' के अंतर्गत है —

(क) ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो 1 जनवरी 1986 या उसके पश्चात् किन्तु 1 नवम्बर 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ है या जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है,

(ख) ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो 1 नवम्बर 1993 को या उसके पश्चात् सेवा में हो या सेवानिवृत्त होता है या जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है,

(त) 'पेन्शन' के अंतर्गत मूल पेन्शन और इन विनियमों के अध्याय 6 में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेन्शन है,

(थ) 'पेन्शनभोगी' से वह कर्मचारी अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अधीन पेन्शन का पात्र है,

(द) 'सरकारी वित्तीय संस्था' से कम्पनी अधिनियम, 1956 ((1956 का 1) की धारा 4क के प्रयोजनों के लिए सरकारी वित्तीय संस्था समझी जाने वाली वित्तीय संस्था अभिप्रेत है,

(ध) 'अर्हकारी सेवा' से छुट्टी पर रहते हुए या अन्यथा की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन पेन्शन के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा,

(न) 'सेवानिवृत्त' के अंतर्गत खण्ड (1) के अंतर्गत सेवानिवृत्त समझा गया है,

(प) 'सेवानिवृत्ति' से निम्नलिखित दशाओं में बैंक की सेवा समाप्ति अभिप्रेत है, अर्थात्—

(1) सेवा विनियमों या समझौतों में उल्लिखित अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर,

(2) इन विनियमों के विनियम 29 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर,

(3) सेवा विनियमों या समझौता में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता आयु से पूर्व ही समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर,

(य) 'मजदूरी मान' से अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में अभिप्रेत समझौते के अधीन समय-समय पर संदेय मूल वेतन, नगर प्रतिकर भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते, यदि कोई हो और महंगाई भत्ता,

(यक) 'सेवा विनियमों' से उक्त अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत बनाए गए स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर / हैदराबाद / इन्दौर / मैसूर / पटियाला/ सौराष्ट्र और त्रावणकोर (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 अभिप्रेत है,

(यख) 'समझौता' से बैंक प्रबंधक वर्ग द्वारा प्राधिकृत संघ के प्रतिनिधियों और उसमें नियोजित कर्मचारी द्वारा प्राधिकृत ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा बैंक प्रबंधक वर्ग के बीच हुआ समझौता या ज्ञापन अभिप्रेत है,

(यग) 'न्यास' से विनियम 5 के उप विनियम (1) के अधीन गठित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/ हैदराबाद / इन्दौर/ मैसूर/ पटियाला/ सौराष्ट्र और त्रावणकोर (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास अभिप्रेत है,

(यघ) 'न्यासी' से विनियम 5 के उप विनियम (1) के अधीन गठित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/ हैदराबाद / इन्दौर / मैसूर / पटियाला /सौराष्ट्र और त्रावणकोर (कर्मचारी) पेंशन निधि के न्यासी अभिप्रेत हैं,

(यङ) 'भविष्य निधि का न्यासी' से अभिप्रेत है कि बैंक की भविष्य निधि का न्यासी,

(यच) इन विनियमों में प्रयोग किए गए किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो अधिनियम या सेवा विनियमों या समझौतों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, अधिनियम, सेवा विनियमों या समझौतों में हैं।

अध्याय 2

लागू होना और पात्रता

3 ये विनियम ऐसे कर्मचारियों को लागू होंगे जो—

(1) (क) पहली जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में थे किन्तु पहली नवम्बर 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे, और

(ख) अधिसूचित तारीख के एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित में निधि का लिखित सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, और

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज, भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर पर अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देते हैं, या

(2) (क) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् परंतु अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है, और

(ख) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, और

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर पर अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देते हैं, या

(3) (क) अधिसूचित तारीख से पूर्व बैंक की सेवा में हैं और अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में बने रहते हैं, और

(ख) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, और

(ग) बैंक की भविष्य निधि के न्यासी को बैंक की सम्पूर्ण रकम, उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, विनियमन 5 के अधीन इस प्रयोजन हेतु गठित निधि में अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं, या

(4) अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में आते हैं, और

(5) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् किसी भी समय बैंक की सेवा में थे और जिनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व मृत्यु हो गई थी, ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब, उस तारीख से, जिसको वे यदि जीवित रहते तो इन विनियमों के अधीन पेंशन पाने के हकदार होते, यदि मृत कर्मचारी का कुटुम्ब—

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करता है, और

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर दें, या

(6) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में आते हैं किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व बैंक की सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे,

परंतु यह तब तक कि ऐसे मृत कर्मचारी का कुटुम्ब अधिसूचित तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम को उस पर प्रोद्भूत ब्याज और भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देता है,

परंतु यह और भी कि ऐसे मृत कर्मचारी का कुटुम्ब पेंशन प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करेगा, या

(7) पहली जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किसी भी समय बैंक की सेवा में थे और जिनकी 31 अक्तूबर, 1993 को या उससे पूर्व सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है या जो 31 अक्तूबर, 1993 को या इससे पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे किंतु जिसकी अधिसूचित तारीख से पूर्व मृत्यु हो गई है, ऐसे मामले में ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, पेंशन या कुटुम्ब पेंशन, के हकदार होंगे, यदि मृत कर्मचारी या कुटुम्ब—

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित रूप में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करता है, और

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देता है, या

(8) 31 अक्तूबर, 1993 को या इससे पूर्व बैंक की सेवा में आते हैं और जिनकी पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् परंतु किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है, ऐसे मामले में, ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृत कर्मचारी का कुटुम्ब—

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित रूप में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करता है, और

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देता है ।

(9) उप विनियम (1), (2), (3), (5) और (8) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कर्मचारी या मृत कर्मचारी का कुटुम्ब इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित तारीख से साठ दिन के भीतर बैंक का अंशदान, और उस पर प्रोद्भूत ब्याज, उस रकम पर अतिरिक्त सामान्य ब्याज सहित, भविष्य निधि को लौटा देता है और उस दशा में जब भविष्य निधि न्यास से प्राप्त नहीं हुआ है, यदि उसने अधिसूचित तारीख से साठ दिन के भीतर बैंक के भविष्य निधि न्यासियों को भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार उस पर प्रोद्भूत ब्याज को विनियम 5 के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए गठित निधि में जमा कराने हेतु प्राधिकृत कर दिया है या ऐसा करता है, यदि कोई कर्मचारी या मृत कर्मचारी का कुटुम्ब अधिसूचित तारीख से पूर्व कोई विकल्प चुन लेता है तो समझौते के अनुसार इसे उस अध्याय के प्रयोजन हेतु विकल्प माना जाएगा ।

4. भविष्य निधि में अंशदान करने का विकल्प :

(1) विनियम 3 के उप-विनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, वह कर्मचारी, जो अधिसूचित तारीख को या इसके पश्चात् पैंतीस वर्ष या इससे अधिक की आयु में बैंक की सेवा में आता है, अपनी नियुक्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पेंशन के अपने अधिकार छोड़ने का निर्वाचन कर सकेगा और ऐसा करने पर ये विनियम उस पर लागू नहीं होंगे ।

(2) उप-विनियम (4) और विनियम 3 में निर्दिष्ट विकल्प का एक बार प्रयोग किए जाने पर वह अंतिम होगा ।

5. निधि का गठन :

(1) बैंक अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, हैदराबाद, इन्दौर, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र और त्रावणकोर (कर्मचारी) पेंशन निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगा।

(2) निधि का एक मात्र प्रयोजन होगा कर्मचारी या उसके कुटुम्ब को इन विनियमों के अनुसार पेंशन के संदाय का उपबंध करना ।

(3) बैंक निधि का एक अंशदाता होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निधि में पर्याप्त धनराशि रहे ताकि न्यासी इन विनियमों के अधीन हिताधिकारियों को सीधा संदाय कर सकें।

6. भविष्य निधि न्यास का कर्तव्य—भविष्य निधि न्यास, निधि के गठन के तुरंत पश्चात् ऐसे प्रत्येक कर्मचारी जिसने पेंशन लेने अपने विकल्प के अधिकार का प्रयोग किया हो, के संबंध में भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संचित रकम ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित बैंक

आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, हैदराबाद, इन्दौर, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र, त्रावणकोर (कर्मचारी) पेन्शन निधि में अंतरित करेगा।

7. निधि की संरचना : निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) कर्मचारी के वेतन पर दस प्रतिशत प्रतिमास की दर से बैंक द्वारा अंशदान,

(ख) कर्मचारी की दशा में भविष्य निधि में बैंक का संचित अंशदान और ऐसे अन्तरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज,

(ग) ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जो अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं किन्तु जिन्होंने इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पेंशन के विकल्प का प्रयोग किया है वापस की गई बैंक के अंशदान की रकम और उस पर ब्याज,

(घ) निधि के धन से क्रय की गई वार्षिकी या प्रतिभूतियों में किया गया निवेश और उस पर ब्याज,

(ङ) निधि की पूंजी आस्तियों से उद्भूत किसी पूंजी अभिलाभ की रकम,

(च) इन विनियमों के विनियम 11 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा किया गया अतिरिक्त वार्षिक अंशदान,

(छ) निधि में जमा की गई रकमों के निवेश से हुई आय,

(ज) मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा वापस किए गए बैंक के अंशदान की रकम और उस पर ब्याज।

8. न्यासी बोर्ड :

(1) न्यासी बोर्ड में इस समय बैंक के निदेशक सम्मिलित होंगे।

(2) उक्त न्यासियों की प्रत्येक बैठक में बैंक का अध्यक्ष बैठक का अध्यक्ष होगा एवं उसकी अनुपस्थिति में बैंक के निदेशकों में से कोई भी एक निदेशक बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(3) व्यवसाय के संचालन के लिए गणपूर्ति हेतु कम से कम 5 न्यासियों जिनमें से एक न्यासी बैंक का प्रबंध निदेशक हो, की उपस्थिति आवश्यक होगी। प्रत्येक न्यासी को एक वोट का अधिकार होगा और समान विभाजन के सभी प्रकरणों में अध्यक्ष को निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा।

(4) बैंक का प्रबंध निदेशक न्यासियों की ओर से इन विनियमों के अधीन प्रयोजन पेंशन संकलित करने के सम्बन्ध में न्यासियों को दिए गए सभी अधिकारों एवं विवेकाधिकारों का प्रयोग करेगा। निधि के निवेश एवं प्रतिभूतियों की बिक्री सहित निधि के अन्य साधारण व्यवसायों को करने के लिए न्यासी अपने में से ही एक समिति की नियुक्ति कर सकते हैं। समिति की गणपूर्ति में 3 न्यासी सम्मिलित होंगे। समिति के सभी निर्णय एकमत से होंगे अन्यथा जिस विषय पर मतभेद हो उस विषय को न्यासी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. न्यासियों द्वारा बैंक के निदेशों का पालन किया जाना : न्यासी गण निधि के समुचित कार्यकरण के लिए बैंक द्वारा दिए गए सभी निदेशों का पालन करेंगे।

10. निधि की लेखा बहियां

(1) निधि के लेखाओं में निधि से संबंधित सभी वित्तीय संव्यवहारों की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में अन्तर्विष्ट होंगी जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 180 दिन के भीतर न्यासी निधियों का एक वित्तीय विवरण तैयार करेंगे और उसमें आस्तियों का सामान्य लेखा एवं निधियों की देयताओं का उल्लेख करेंगे एवं बैंक को उसकी एक प्रति अग्रेषित करेंगे।

(3) निधि के खातों की उक्त अधिनियम की धारा 41 के उपबंधों के अनुसार लेखा परीक्षा की जाएगी।

11. निधि का बीमांकिक अन्वेषण : बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक की निधि की वित्तीय स्थिति का किसी बीमांकक द्वारा अन्वेषण कराएगा और निधि में ऐसा अतिरिक्त अन्वेषण कराएगा और निधि में ऐसा अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करेगा जो इन विनियमों के अधीन लाभों का संदाय सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो।

12. निधि का निवेश : निधि में अंशदान की गई या प्राप्त या ब्याज के रूप में अधिसूचित तारीख के पश्चात् प्रोद्भूत संपूर्ण राशि भारत में डाक घर बचत बैंक खाते या किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में जमा की जा सकेगी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अनुसार उपयोग में लाई जा सकेगी।

13. निधि से भुगतान : निधि द्वारा फायदों का संदाय बैंक कर्मचारियों को पेंशनिक फायदे या बैंक के मृत कर्मचारियों के कुटुम्बों को कुटुम्ब पेंशन देने के लिए किया जाएगा।

अध्याय 4

अर्हक सेवा

14. अर्हक सेवा : इन विनियमों में अंतर्विष्ट अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसा कर्मचारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को या जिस तारीख को वह सेवानिवृत्त समझा जाता है, उस तारीख को बैंक में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की है, पेंशन के लिए अर्हित होगा।

15. अर्हक सेवा का आरम्भ : इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तारीख से आरम्भ होगी, जिस तारीख को वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है, जिस पर वह पहली बार स्थायी आधार पर नियुक्त हुआ है।

16. परिवीक्षा पर की गई सेवा की गणना : बैंक में किसी पद पर परिवीक्षा पर की गई सेवा अर्हक सेवा होगी, यदि परिवीक्षा के पश्चात् उसी पद पर या किसी अन्य पद पर उसकी पुष्टि हो जाती है।

17. छुट्टी पर व्यतीत अवधि की गणना : बैंक की सेवा में ऐसी सभी छुट्टियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है।

परन्तु वेतनहानि पर असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में नहीं गिनी जाएगी सिवाय तब के जब मंजूरी प्राधिकारी ने निदेश दिया है कि ऐसी छुट्टी, संपूर्ण सेवावधि के दौरान बारह महीनों से अनधिक, पेंशन सहित सभी प्रयोजनों के लिए सेवा के रूप में गिनी जाए।

18. एक वर्ष से कम की सेवा का खंडित सेवा काल : यदि किसी कर्मचारी की सेवा में एक वर्ष से कम का खंडित सेवा काल सम्मिलित है तो यदि यह खंडित काल छह महीने से अधिक है तो उसे एक वर्ष माना जाएगा और यदि ऐसा खंडित काल छह महीने या कम है तो इसे छोड़ दिया जाएगा ।

19. प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना : किसी कर्मचारी द्वारा उसकी नियुक्ति से ठीक पहले बैंक में प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी ।

20. किसी पूर्व बैंक के साथ की गई भूतकालिक सेवा की गणना : जिस बैंक में ये विनियम लागू होते हैं उसमें, किसी अन्य बैंक के विलियन या, समामेलन पर किसी अन्य बैंक से स्थायी रूप से स्थानांतरित किए गए कर्मचारी में, ऐसे कर्मचारी द्वारा यथास्थिति किसी की दशा अन्य बैंक में स्थायी आधार पर की गई अनवरत सेवा, यदि कोई हो, जिसके पश्चात् बिना किसी व्यवधान के स्थायी नियुक्ति हुई हो या बैंक में स्थायी क्षमता में की गई अनवरत सेवा, अर्हक सेवा होगी, परन्तु संविदा के आधार पर या दैनिक मजदूरी के आधार पर या समेकित मजदूरी पर नियुक्ति किसी कर्मचारी को यह विनियम लागू नहीं होगा ।

21. निलंबन की अवधि : जांच लंबित रहने के दौरान किसी कर्मचारी की निलंबन की अवधि की गणना अर्हक सेवा के लिए की जाएगी जहां ऐसी जांच पूरी हो जाने के पश्चात् उसे पूरी तरह नियुक्त कर दिया गया है या निलंबन की अवधि को तब तक अर्हक सेवा नहीं गिना जाएगा जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले सेवा विनियमों या समझौतों के अधीन आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना उस विस्तार तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे ।

22. अनर्हता की स्थिति में :

(1) किसी कर्मचारी के बैंक की सेवा से त्यागपत्र देने या उसके पदच्युत किए जाने या हटाए जाने या सेवा समाप्ति पर उसकी संपूर्ण पिछली सेवा समपहृत हो जाएगी और परिणामस्वरूप पेंशनिक फायदों के लिए अर्हक सेवा नहीं होगी,

(2) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी बैंक कर्मचारी की सेवा में व्यवधान उसकी पूर्व सेवा को अपरिहार्य रूप से समपहृत कर देता है,

(क) प्राधिकृत अनुपस्थिति छुट्टी,

(ख) निलंबन, जहां उसको तुरन्त यथापूर्वकरण चाहे उसी पद पर हो या किसी भिन्न पद पर या जहां बैंक कर्मचारी की मृत्यु हो गई है या उसे सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई है या निलंबन के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु पहुंचने पर सेवानिवृत्त कर दिया है,

(ग) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संस्थान में या बैंक में गैर-अर्हक सेवा में स्थानांतरण, यदि ऐसे स्थानांतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में दिया गया है,

(घ) स्थानांतरण पर एक पद से दूसरे पद पर कार्यग्रहण करने का समय ।

(3) उप विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण छुट्टी में परिवर्तन करने का आदेश दे सकता है ।

(4) (क) सेवा अभिलेख में किसी प्रतिकूल विशिष्ट उपदर्शन के अभाव में किसी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा अवधियों के बीच के व्यवधान को स्वतः माफ किया जाएगा और व्यवधान से पहले की सेवा को अर्हक सेवा माना जाएगा ।

(ख) खण्ड (क) की कोई भी बात त्याग पत्र या पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के कारण या हड़ताल में भाग लेने के कारण हुए व्यवधान पर लागू नहीं होगी,

परन्तु किसी बैंक कर्मचारी के सेवा अभिलेख में, हड़ताल में भाग लेने के कारण पिछली सेवा में हुए समपहरण के संबंध में, प्रविष्ट करने से पहले ऐसे बैंक कर्मचारियों को अभ्यावेदन करने का एक अवसर दिया जा सकता है ।

23. विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि : संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य विदेशी निकाय या संगठन को विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति कर्मचारी अपने विकल्प पर,

(क) अपनी विदेश सेवा के संबंध में पेंशन का अंशदान अदा कर सकता है और ऐसी सेवा की गणना इन विनियमों के अधीन अर्हक सेवा के रूप में कर सकता है, या

(ख) विदेश नियोजक के नियमों के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति फायदों का लाभ ले सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन विनियमों के अधीन अर्हक सेवा के रूप में नहीं करेगा,

परन्तु यदि कोई कर्मचारी खण्ड (क) के लिए विकल्प देता है तो उसे सेवानिवृत्ति फायदे भारत में रुपयों में ऐसी तारीख से और ऐसी रीति से संदेय किए जाएंगे जिसे बैंक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

24. सेना में सेवा : ऐसा कर्मचारी जिसने बैंक में नियुक्ति से पहले सेना में सेवा की है, सैनिक पेंशन, यदि कोई हो, प्राप्त करता रहेगा और सेना में कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की गणना पेंशन के रूप में नहीं की जाएगी ।

25. भारत में किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि : भारत में किसी अन्य संगठन में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी :

परन्तु यह तब जबकि ऐसा संगठन जिसमें वह प्रतिनियुक्त है, या कर्मचारी इन विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (क) में विनिर्दिष्ट दरों पर या प्रतिनियुक्ति के समय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर, इनमें से जो भी उच्च दर हो, पेंशन संबंधी अंशदान का बैंक को संदाय करे ।

26. विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा में परिवर्धन :— कोई भी कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन के लिए (किन्तु किसी अन्य वर्ग की पेंशन के लिए नहीं) अर्हित करने वाले अपने सेवाकाल में अपनी सेवा की एक चौथाई से अनधिक या उतनी वास्तविक अवधि जितनी से, भर्ती के समय सीधी भर्ती हेतु बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतर आयु सीमा से उसकी आयु अधिक भी या पांच वर्ष की अवधि की, इनमें से जो भी कम हो, वृद्धि करने का पात्र होगा किन्तु यह तब तक जबकि वह सेवा या पद, जिस पर कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, निम्नलिखित में से एक है :—

(क) जिसके लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशेषज्ञ अर्हताएं या वैज्ञानिक प्रौद्योगिक या वृद्धि क्षेत्रों में अनुभव आवश्यक है, और

(ख) जिस पर सीधी भर्ती हेतु बैंक द्वारा सामान्यतया विनिर्दिष्ट उच्चतर आयु सीमा से अधिक के अभ्यर्थी भर्ती किए जाते हैं,

(ग) जिसके लिए अभ्यर्थी को उसके पास उच्चतर अर्हताएं और अनुभव होने के कारण बैंक द्वारा नियत अधिकतम आयु सीमा से ऊपर छूट दी गई हो।

परन्तु यह रियायत किसी कर्मचारी को तभी अनुज्ञेय होगी जब कि बैंक की सेवा छोड़ने के समय उसकी वास्तविक अर्हक सेवा कम से कम दस वर्ष की हो ।

परन्तु यह भी कि किसी कर्मचारी को यह रियायत तभी अनुज्ञेय होगी जब उक्त सेवा या पद के संबंध में भर्ती नियमों में विशिष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि इस सेवा या पद के लिए इस विनियम का फायदा उपलब्ध है ।

परन्तु यह भी किसी सेवा या पद के संबंध में भर्ती नियम, जिनमें इस विनियम के फायदे उपलब्ध होंगे केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

27. स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई सेवा की गणना :—

(1) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो कि मजदूरी मान पर नियुक्त था और स्थायी अंशकालिक आधार पर बैंक की सेवा में नियोजित था और भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था, उसके द्वारा स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई ऐसी सेवा की गणना भविष्य निधि का सदस्य बनने की तारीख से अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी ।

(2) पेंशन की रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए उप-विनियम (1) में उल्लिखित कर्मचारी की अर्हक सेवा परिशिष्ट 4 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

अध्याय 5

पेंशन के वर्ग

28. अधिवर्षिता पेंशन . अधिवर्षिता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जाएगी जो सेवा विनियमों या समझौतों में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ है ।

29. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन :

(1) पहली नवम्बर 1993 को या उसके पश्चात् कर्मचारी के बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् किसी भी समय वह सक्षम प्राधिकारी को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा ।

परन्तु यह उप विनियम प्रतिनियुक्ति पर या विदेश में अध्ययन हेतु छुट्टी पर गए कर्मचारी को तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह स्थानांतरित होने पर या भारत लौटने पर भारत में उस पर का कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं कर लेता और कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता है,

परन्तु यह भी कि यह उप विनियम ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगा जो ऐसी किसी स्वशासी निकाय या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या कम्पनी या संस्था या निकाय में, चाहे वह नियमित हो या नहीं, में अस्थायी रूप से आमंत्रित होने के लिए सेवानिवृत्त मांगने पर समय प्रतिनियुक्ति पर है,

परन्तु यह उप विनियम उस कर्मचारी को लागू नहीं होगा जो विनियम 2 के खण्ड (1) के अनुसार समझा गया है ।

(2) उप विनियम (1) के अधीन दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं करता है तो सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी ।

(3) (क) उप विनियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को यह कारण बताते हुए लिखित अनुरोध कर सकेगा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए तीन मास से कम की सूचना स्वीकार कर ली जाए,

(ख) खण्ड (क) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, उप विनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए गुणागुण के आधार पर सूचना की तीन महीने की अवधि में कमी करने के अनुरोध पर विचार कर सकेगा और यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि सूचना की अवधि में कमी करने से कोई प्रशासनिक असुविधा पैदा नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी इस शर्त पर तीन महीने की सूचना संबंधी अपेक्षा को शिथिल कर सकेगा कि कर्मचारी सूचना के तीन महीने समाप्त होने से पहले अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा ।

(4) ऐसे कर्मचारी को, जिसने इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का निर्वाचन किया है और इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक सूचना दी है, ऐसे अधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना अपनी सूचना वापस नहीं ले सकेगा :

परन्तु यह कि सूचना वापस लेने के लिए अनुरोध सेवानिवृत्ति आशयित तारीख से पहले किया जाएगा ।

(5) इस विनियम के अधीन स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी कि उस कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और इससे यह अधिवर्षिता की तारीख से आगे नहीं जाएगी ।

(6) इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन इन विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (ब) के अधीन

यथापरिभाषित औसत परिलब्धियों पर आधारित होगी और वृद्धि से, जो कि उसकी अर्हक सेवा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, वह अपनी पेंशन की संगणना के लिए वेतन के काल्पनिक नियतन का हकदार नहीं होगा ।

30. अशक्त पेंशन :

(1) ऐसे कर्मचारी को अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकेगी :

(क) जिसने न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की है, और

(ख) जो पहली नवम्बर 1993 को या उसके पश्चात् जो किसी ऐसे शारीरिक या मानसिक दौर्बल्य के कारण सेवानिवृत्त हुआ है जिसने उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ बना दिया है ।

(2) अशक्त पेंशन के लिए आवेदन करने वाला कर्मचारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया असमर्थता संबंधी डाक्टरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहां बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी को उस पद से जिस पर वह कार्य कर रहा था, कम परिश्रम वाले कार्य पर आगे सेवा हेतु स्वस्थ घोषित कर देता है तो, यदि वह कार्य करना चाहता हो तो, उसे निम्नतर पद पर सेवा से रखा जा सकता है और यदि वह निम्नतर पद पर रखने का कोई साधन नहीं है तो उसे अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकती है ।

(4) सेवा हेतु अक्षमता का चिकित्सा प्रमाणपत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक इस आशय का एक पत्र प्रस्तुत करके चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेता कि सक्षम प्राधिकारी को इस बात की जानकारी है कि आवेदक बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहता है ।

(5) बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी, जिसके अधीन आवेदक नियोजित है, कार्यालयीन अभिलेख से प्रकट होने वाली आवेदक की आयु की जानकारी देगा ।

31. अनुकम्पा भत्ता :

(1) ऐसे कर्मचारी की, जिसे सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवा समाप्त की जाती है, पेंशन समपहृत हो जाएगी :

परन्तु पदच्युत करने या सेवा से हटाने या सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी, यदि---

(1) ऐसी पदच्युति, सेवा से हटाया जाना या सेवा समाप्ति 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् की गई है, और

(2) मामला विशेष रूप से विचार किए जाने के योग्य है तो ऐसी पेंशन की वह तिहाई से अनधिक अनुकम्पा भत्ता मंजूर कर सकेगा, जो उसकी पदच्युति सेवा से हटाए जाने या सेवा समाप्त करने की तारीख तक की गई सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती ।

(2) उप विनियम (1) के परन्तुक के अधीन स्वीकृत अनुकम्पा भत्ता इन विनियमों के विनियम 36 के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगा ।

32. समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन : समय पूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाएगी जो :

(क) न्यूनतम दस वर्ष की सेवा कर चुका हो,

(ख) लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्त होने के बैंक के आदेश के कारण या सेवा विनियमों या समझौते में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्त होता है, और जो अन्यथा अधिवर्षिता की उस तारीख पर पेंशन के लिए पात्र होता ।

33. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन :

(1) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवा विनियम या समझौते के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति दिए जाने पर सेवा की शास्ति के रूप में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किए गए कर्मचारी को उस दर से पेंशन दी जा सकती है जो उसे देय पेंशन के दो तिहाई से कम न हो और उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे स्वीकृत उस पूरी पेंशन से अधिक न हो, यदि वह अन्यथा अधिवर्षिता की तारीख को ऐसी पेंशन का पात्र होता ।

(2) जब भी सक्षम प्राधिकारी कोई आदेश पारित करता है (चाहे वह आरम्भिक, अपील या पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए हो), जिसमें इन विनियमों के अधीन स्वीकृत पूर्ण पेंशन से कम दर पर पेंशन दी गई है, तो ऐसा आदेश पारित करने से पहले निदेशक बोर्ड या इसकी कार्यकारिणी समिति से परामर्श किया जाएगा ।

(3) यथास्थिति, उप विनियम (1) या उप विनियम (2) के अधीन, दी गई या प्रदान की गई पेंशन प्रतिमास तीन सौ पचहत्तर रुपये की रकम से कम नहीं होगी ।

34. 01-01-1986 से 31-10-1993 के बीच सेवा-निवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन या कुटुम्ब पेंशन का संदाय :

(1) जनवरी, 1986 और 31 अक्तूबर, 1993 के बीच बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 से पेंशन के लिए पात्र होंगे ।

(2) विनियम 3 के उप-विनियम (7) में अंतर्विष्ट उप-बंधों द्वारा शासित मृत कर्मचारी का कुटुम्ब 1 नवम्बर, 1993 से पेंशन का पात्र होगा ।

अध्याय 6

पेंशन की दर

35. पेंशन की रकम :

(1) 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किन्तु 31 अक्तूबर, 1987 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन को परिशिष्ट 1 में दिए गए सूत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(2) तैंतीस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवा विनियमों या समझौते के उपबंधों के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में मूल पेन्शन की रकम की संगणना औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर की जाएगी ।

(3) (क) अतिरिक्त पेन्शन, कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान प्राप्त किए गए भत्तों की राशि की पचास प्रतिशत होगी,

(ख) अतिरिक्त पेन्शन की रकम पर कोई महंगाई राहत नहीं दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण :—इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए भत्तों से वे भत्ते अभिप्रेत हैं जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए जिस विस्तार तक गणना की जाती है उस तक अनुज्ञेय है ।

(4) उपर्युक्त उप विनियम (2) और उप विनियम (3) के रूप में परिकलित पेन्शन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेन्शन के अधीन रहते हुए होगी ।

(5) ऐसे कर्मचारी को जिसने इन विनियमों के विनियम 41 के उपबंधों के अनुसार अपनी पेन्शन के अनुज्ञेय भाग का संराशीकरण करवाया है, प्रत्येक मास पेन्शन का केवल अतिशेष ही प्राप्त होगा ।

(6) (क) तैंतीस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले किन्तु दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में पेन्शन की रकम उप विनियम (2) और उप विनियम (3) के अधीन अनुज्ञेय पेन्शन की रकम के अनुपात में होगी और किसी भी दशा में पेन्शन की रकम इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेन्शन की रकम से कम नहीं होगी ।

(ख) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अशक्त पेन्शन की रकम कुटुम्ब पेन्शन की उस सामान्य दर से कम नहीं होगी, जो सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके कुटुम्ब को संदेय होती ।

(7) इस विनियम के अधीन अंतिम रूप से अवधारित पेन्शन की रकम पूर्ण रुपए में व्यक्त की जाएगी और यदि पेन्शन में रुपए का कोई भाग हो तो इसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ।

36. न्यूनतम पेन्शन :—न्यूनतम पेन्शन की रकम इस प्रकार होगी :—

(क) पहली नवम्बर, 1993 से पहले अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न सेवानिवृत्त कर्मचारी की दशा में तीन सौ पचहत्तर रुपए प्रति मास, और

(ख) पहली नवम्बर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारी की दशा में एक सौ पचीस रुपए प्रति मास,

(ग) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले, अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न, कर्मचारी की दशा में सात सौ तीस रुपए प्रति मास, और

(घ) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारी की दशा में दो सौ चालीस रुपए प्रति मास ।

37. महंगाई राहत :—

(1) मूल पेन्शन या कुटुम्ब पेन्शन या अशक्त पेन्शन या अनुकम्पा भत्ता पर महंगाई राहत परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मंजूर की जाएगी ।

(2) महंगाई राहत, संराशीकरण के पश्चात् भी, पूर्ण मूल पेन्शन पर अनुज्ञात की जाएगी ।

38. औसत परिलब्धियों के लिए दस मास की अवधि का अवधारण :—

(1) औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस माह की अवधि की गणना सेवानिवृत्त की तारीख से की जाएगी ।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामले में, औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस मास की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिससे कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुआ है या बैंक द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्त किया गया है ।

(3) पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त या सेवा समाप्ति के मामले में औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती पंद्रह मास की अवधि की गणना बैंक से कर्मचारी की पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(4) यदि सेवा के अंतिम दस माह के दौरान कर्मचारी बिना वेतन असाधारण छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है या निलंबित रहा है और उस अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं की गई है तो औसत परिलब्धियों की गणना करते समय असाधारण छुट्टी या निलंबन की उक्त अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा और दस मास से पहले की उतनी ही अवधि उसमें सम्मिलित कर ली जाएगी ।

अध्याय 7

कुटुम्ब पेन्शन

39. कुटुम्ब पेन्शन :—

(1) इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कर्मचारी की मृत्यु :—

(क) एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी होने के पश्चात् होती है, या

(ख) एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी होने से पहले होती है, परन्तु संबंधित मृत कर्मचारी की सेवा में या पद पर नियुक्ति होने से ठीक पहले बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गई थी और उसे बैंक में नियोजन के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था, या

(ग) सेवानिवृत्ति के पश्चात् और वह मृत्यु की तारीख को पेन्शन या अनुकम्पा भत्ता पा रहा था,

तो मृत कर्मचारी का कुटुम्ब, कुटुम्ब पेन्शन का हकदार होगा, जिसकी रकम का अवधारण परिशिष्ट 3 के अनुसार किया जाएगा ।

(2) कुटुम्ब पेन्शन की रकम मासिक दरों पर नियत की जाएगी और पूर्ण रुपए में व्यक्त की जाएगी और जहां कुटुम्ब पेन्शन में रुपए का कोई भाग है तो इसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ।

परन्तु किसी भी दशा में कुटुम्ब पेन्शन इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम पेन्शन से अधिक नहीं होगी ।

(3) (क) (1) जहां किसी कर्मचारी की जो कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) से शासित नहीं होता है, कम से कम सात वर्ष की निरन्तर सेवा करने के पश्चात् सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेन्शन की दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत या उप विनियम (1) के अधीन अनज्ञेय कुटुम्ब पेन्शन के दुगुने के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगी और इस प्रकार अनज्ञेय रकम कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से साठ वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जिस तारीख को मृत कर्मचारी यदि वह जीवित रहा होता तो पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाता, इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगी ।

(2) सेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, इस उप विनियम के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन यथा अवधारित कुटुम्ब पेन्शन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से सात वर्ष के लिए या उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जिस तारीख को सेवानिवृत्त मृत कर्मचारी यदि वह जीवित रहा होता तो पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाता, इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगी ।

(ख) (1) जहां किसी कर्मचारी कि जो कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 (1923 का 8) से शासित होता है, सात वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा करने के पश्चात सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेन्शन का दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत या उप विनियम (1) के अधीन अनज्ञात कुटुम्ब पेन्शन के डेढ़ गुने के इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी ।

(2) उप खण्ड (1) के अधीन इस प्रकार अवधारित कुटुम्ब पेन्शन खण्ड (क) में उल्लिखित अवधि के लिए संदेय होगी ।

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पश्चात वह कुटुम्ब, जिसे उस खण्ड या खण्ड (ख) के अधीन कुटुम्ब पेन्शन मिल रही है, उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय दर पर कुटुम्ब पेन्शन का हकदार होगा ।

(4) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मृत कर्मचारी का कुटुम्ब विनियम 3 के उप विनियम (5) के अनुसार पेन्शन के विकल्प का प्रयोग या विनियम 3 के उप विनियम (6) या (7) या (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होता है, तो मृत कर्मचारी का ऐसा कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेन्शन का पात्र होगा ।

40 कुटुम्ब पेन्शन के संदाय की अवधि :—

(1) जिस अवधि के लिए कुटुम्ब पेन्शन संदेय होगी, वह अवधि होगी :—

(क) विधवा या विधुर की दशा में, मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र की दशा में, जब तक कि वह पच्चीस वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, और

(ग) अविवाहित पुत्री की दशा में, जब तक कि वह पच्चीस वर्ष की आयु की नहीं हो जाती या जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, होगी ।

परन्तु यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या नि:शक्तता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से विकलांग या नि:शक्त है, जिससे कि वह पच्चीस वर्ष की आयु का होने के बाद भी जीविकोपार्जन में असमर्थ है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुम्ब पेन्शन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदेय होगी, अर्थात् :—

(1) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या अधिक संतान में से एक है तो आरम्भ में कुटुम्ब पेन्शन का संदाय उप विनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्धारित क्रम में अवयस्क संतानों को किया जाएगा जब तक कि अंतिम अवयस्क संतान पच्चीस वर्ष की आयु की नहीं हो जाती और तत्पश्चात् कुटुम्ब पेन्शन, मानसिक विकार या नि:शक्तता से ग्रस्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग या नि:शक्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुन: प्रारम्भ की जाएगी और उसे आजीवन संदेय होगी,

(2) यदि मानसिक विकार या नि:शक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से विकलांग या नि:शक्त एक से अधिक संतानें हैं तो उनकी जन्म की तारीख के क्रम में पेंशन का संदाय किया जाएगा और उनमें से कनिष्ठ संतान को कुटुम्ब पेन्शन तभी मिलेगी जब उससे ठीक ज्येष्ठ संतान की पात्रता समाप्त हो जाती है

परन्तु जहां कुटुम्ब पेन्शन ऐसी जुड़वां संतान को संदेय है वहां इसका संदाय उप विनियम (1) के खण्ड (ख) में दी गयी रीति से किया जाएगा ।

(3) उस दशा के सिवाय जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग पुत्र या पुत्री वयस्क है, ऐसे पुत्र या पुत्री को संरक्षक के माध्यम से कुटुम्ब पेन्शन का संदाय किया जाएगा जबकि वह अवयस्क हो,

(4) ऐसे पुत्र या ऐसी पुत्री को आजीवन कुटुम्ब पेन्शन मंजूर करने से पहले सक्षम प्राधिकारी अपना यह समाधान कर लेगा कि विकलांगता की प्रकृति ऐसी है कि वह अपनी जीविका उपार्जित करने में असमर्थ है और इसके लिए बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र होगा, जिसमें संतान की सही शारीरिक या मानसिक स्थिति, यथासंभव, बतायी गयी होगी,

(5) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक की रूप में कुटुम्ब पेन्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या बिना संरक्षक के माध्यम से कुटुम्ब पेन्शन लेने वाला पुत्र या पुत्री प्रत्येक तीसरे वर्ष बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह अब भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है या अब भी शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त है ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम में विनिर्दिष्ट आयु सीमा से अधिक की निःशक्त संतानों को कुटुम्ब पेन्शन की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्

(1) पुत्री का विवाह हो जाने पर वह विवाह होने की तारीख से इस उप विनियम के अधीन कुटुम्ब पेन्शन के लिए अपात्र हो जाएगी ।

(2) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री अपनी जीविका उपार्जित करने लग जाता है या जाती है तो उसे संदेय कुटुम्ब पेन्शन बंद कर दी जाएगी । ऐसे मामलों में संरक्षक या पुत्र या पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक मास बैंक को यह प्रमाण-पत्र दे कि :—

(अ) उसने जीविकोपार्जन करना आरम्भ नहीं किया है ।

(आ) पुत्री की दशा में उसका अभी विवाह नहीं हुआ है ।

(घ) यदि मृत कर्मचारी या पेन्शनभोगी अपनी विधवा या विधुर को छोड़ जाता है तो कुटुम्ब पेन्शन विधवा या विधुर को संदेय होगी और उनके न होने पर पात्र संतान को देय होगी,

(ङ) संतान को कुटुम्ब पेन्शन उनके जन्म की तारीख के क्रम में संदेय होगी और कनिष्ठतर संतान तब तक कुटुम्ब पेन्शन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे ज्येष्ठतर संतान कुटुम्ब पेन्शन पाने के लिए अपात्र नहीं हो जाती,

परन्तु जहां कुटुम्ब पेन्शन का संदाय जुड़वा को किया जाता है वहां इसका संदाय उप विनियम (1) के खण्ड (घ) में वर्णित रीति से किया जाएगा ।

(च) जहां कुटुम्ब पेन्शन का संदाय जुड़वा संतान को किया जाता है वहां ऐसी संतानों को उसका संदाय समान भागों में किया जाएगा ।

परन्तु यहां इस प्रकार की किसी एक संतान की पात्रता नहीं रहती है वहां उसका भाग दूसरी संतान को दे दिया जाएगा और जहां दोनों संतानों की पात्रता नहीं रहती वहां कुटुम्ब पेन्शन, यथा स्थिति, अगली पात्र संतान या जुड़वा संतान को दी जाएगी ।

(2) जब मृत कर्मचारी या पेन्शनभोगी एक से अधिक संतान छोड़ जाता है तो ज्येष्ठतम पात्र संतान उप विनियम (1) के, यथा स्थिति, खंड (क) या खंड (ग) में दी गई अवधि के लिए कुटुम्ब पेन्शन की हकदार होगी और उस अवधि की समाप्ति होने पर उससे ठीक कनिष्ठ संतान कुटुम्ब पेन्शन की मंजूरी के लिए पात्र होगी ।

(3) जहां कुटुम्ब पेन्शन इस विनियम के अधीन अवयस्क मंजूर की जाती है, वहां अवयस्क के विभिन्न संरक्षक को संदेय होगी।

(4) उस दशा में जब पति और पत्नी दोनों बैंक के कर्मचारी हैं और इस विनियम के उपबंधों द्वारा शासित हैं और उनमें से एक की मृत्यु सेवा काल में या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाती है तो मृत कर्मचारी की बाबत कुटुम्ब पेन्शन, यथास्थिति, उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय होगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर मृत माता पिता के संबंध में उत्तरजीवी संतान या संतानों को दो कुटुम्ब पेन्शनों की मंजूरी नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए की जाएगी, अर्थात् :

(क) यदि उत्तरजीवी संतान या संतानें विनियम 39 के उप विनियम (3) के खंड (क) के उप खंड (1) के खंड (ख) या उप खंड (1) में उल्लिखित दरों पर दो कुटुम्ब पेन्शनों को पाने के पात्र हैं तो ऐसे कर्मचारियों की बाबत जो पहली नवम्बर, 1993 के पहले सेवानिवृत्त हो गया है या सेवा काल में जिसकी मृत्यु हो गई है दोनों पेंशनों की रकम दो हजार पांच सौ रुपए प्रति मास तक सीमित होगी और ऐसे कर्मचारियों की बाबत जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गए या उनकी मृत्यु हो गई है, दोनों पेन्शन की रकम केवल चार हजार आठ सौ रुपए प्रति माह तक सीमित होगी ।

(ख) यदि दोनों पेंशनों विनियम 39 के उप विनियम (3) के खंड (क) के उप खंड (1) में या खंड (ख) या उप खंड (1) में उल्लिखित दरों पर देय कुटुम्ब पेंशन में से एक मिलना बंद हो जाती है और उसके स्थान पर विनियम 39 के उप विनियम (1) में उल्लिखित दर पर कुटुम्ब पेंशन संदेय हो जाती है तो उस कर्मचारी की बाबत जो पहली नवम्बर 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था या सेवा काल में उसकी मृत्यु हो गई थी, दोनों पेंशनों की रकम दो हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास तक सीमित होगी और ऐसे कर्मचारी की बाबत जो पहली नवम्बर 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया है या जिसकी मृत्यु हो गई है, यह रकम चार हजार आठ सौ रुपए प्रतिमाह तक सीमित होगी ।

(ग) यदि दोनों कुटुम्ब पेंशन विनियम 39 के उप विनियम (1) में उल्लिखित दर पर संदेय है तो कर्मचारी के पहली नवम्बर 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त होने या सेवाकाल में उसकी मृत्यु होने की दशा में पेंशन की रकम एक हजार दो सौ पचास रुपए प्रति

मास तक सीमित होगी और उस कर्मचारी की बाबत जो पहली नवम्बर 1993 को या उसके पश्चात् सेवा-निवृत्त होने या सेवा काल में जिसकी मृत्यु हो जाती है कुटुम्ब पेंशन की रकम दो हजार चार सौ रुपए प्रतिमास तक सीमित होगी ।

(5) (क) जहां कुटुम्ब पेंशन एक से अधिक विधवाओं को संदेय है वहां कुटुम्ब पेंशन का सभी विधवाओं को समान भागों में संदाय किया जाएगा (केवल तब ही जब यह कानूनी रूप से स्वीकार्य हो) ।

(ख) किसी विधवा की मृत्यु होने पर उसके अंश की कुटुम्ब पेंशन उसकी पात्र संतान को संदेय होगी ।

परन्तु यदि विधवा के कोई उत्तरजीवी संतान नहीं है तो उसके अंश की कुटुम्ब पेंशन व्यपगत नहीं होगी किन्तु वह अन्य विधवाओं को समान भागों में संदेय होगी और यदि इस प्रकार की केवल एक ही विधवा जीवित रहती है तो पेंशन की संपूर्ण रकम उसे संदेय होगी ।

(ग) यदि मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी की उत्तरजीवी एक विधवा है किन्तु उसकी दूसरी पत्नी से, जो जीवित नहीं है, उसके पात्र एक या अधिक संतान जीवित है, तो पात्र संतान कुटुम्ब के उस अंश के लिए पात्र होंगे जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय उस संतान या संतानों की माता को यदि वह जीवित होती तो मिलता ।

परन्तु यह कि जब इस प्रकार की संतान या संतानों या विधवा या विधवाओं को कुटुम्ब पेंशन के अंश यह संदेय नहीं रहते हैं तब वह रकम व्यपगत नहीं होगी बल्कि वह दूसरी विधवा या विधवाओं को जो इसके लिए अन्यथा पात्र होंगे, समान भागों में संदेय होगी या यदि केवल एक ही विधवा या संतान हो तो उसे पूरी रकम संदेय होगी,

(घ) जहां कुटुम्ब पेंशन जुड़वा संतानों को संदेय है वहां उसका संदाय उपर्युक्त उप विनियम (1) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

(ङ) इस उप विनियम में यथा उपबंधित के सिवाय कुटुम्ब पेंशन एक समय में कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यों को संदेय नहीं होगी।

(6) जहां कोई स्त्री कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी न्यायिक रूप से पृथक जीवित पति या पत्नी पीछे छोड़ जाता है और कोई संतान नहीं है वहां मृतक की बाबत कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी को संदेय होगी। परन्तु जहां न्यायिक पृथकरण जारकर्म के आधार पर मंजूर किया जाता है और कर्मचारी की मृत्यु इस प्रकार के न्यायिक पृथकरण के दौरान होती है, तो जारकर्म के लिए सिद्धदोष पाए गए उत्तरजीवी को कुटुम्ब पेंशन संदेय नहीं होगी ।

(7) (क) जहां किसी महिला या पुरुष कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और वह अपने न्यायिक रूप से पृथक पति या विधवा छोड़ जाता है जिसको एक या अधिक संतान है वहां मृत कर्मचारी की बाबत संदेय कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी को संदेय होगी परंतु यह तब जब कि वह ऐसी संतान का संरक्षक हो।

(ख) जहां उत्तरजीवी व्यक्ति ऐसी संतान का संरक्षक नहीं रह गया है वहां कुटुम्ब पेंशन इस प्रकार की संतान के वास्तविक संरक्षक को संदेय होगी ।

(8) यदि कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र पुत्र या अविवाहित पुत्री, कुटुम्ब वयस्क की हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन का संदाय सीधे ऐसे पुत्र या अविवाहित पुत्री को किया जाएगा ।

(9) यदि कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु की दशा में इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति पर उस कर्मचारी की हत्या करने का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का आरोप लगाया जाता है, तो कुटुम्ब के अन्य पात्र सदस्य या सदस्यों सहित ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के दावे को उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियों समाप्त होने तक निलंबित रखा जाएगा।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट दांडिक कार्यवाहियों के समाप्त होने पर, संबद्ध व्यक्ति—

(1) कर्मचारी की हत्या करने या हत्या के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो उसे कुटुम्ब पेंशन से विवर्जित कर दिया जाएगा और कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुम्ब पेंशन कुटुम्ब के अन्य पात्र सदस्यों को संदेय होगी।

(2) कर्मचारी की हत्या या हत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बैंक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुम्ब पेंशन संदेय होगी।

(ग) उपखण्ड (क) और (ख) के उपबंध किसी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु पर संदेय होने वाली कुटुम्ब पेंशन पर भी लागू होगी ।

अध्याय 8

संराशीकरण

41. संराशीकरण :—

(1) कोई कर्मचारी एकमुश्त संदाय के लिए अपनी पेंशन के एक तिहाई भिन्न से अनधिक भाग के संराशीकरण का हकदार होगा।

परन्तु इन विनियमों के विनियम 3 के उप विनियम (5) द्वारा शासित किसी कर्मचारी की बाबत, ऐसे कर्मचारी का कुटुम्ब भी, कर्मचारी की अनुज्ञात पेंशन के एकमुश्त संदाय के लिए एक तिहाई भाग से अनधिक भिन्न के संराशीकरण का हकदार होगा।

(2) कर्मचारी यह उपदर्शित करेगा कि वह पेंशन के किस भिन्नांश का संराशीकरण के लिए निर्वाचित करेगा, संराशीकरण के लिए या तो वह पेंशन की एक तिहाई भाग अर्थात् अधिकतम सीमा को उपदर्शित कर सकता है अथवा इससे कम सीमा तक अपनी इच्छानुसार संराशीकरण करा सकता है ।

(3) यदि संराशीकरण के लिए पेंशन का भिन्न एक रुपए का अंश है तो संराशीकरण के प्रयोजन के लिए इसे छोड़ दिया जाएगा।

(4) किसी आवेदक को संदेय एकमुश्त रकम की संगणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार की जाएगी।

सारणी

एक रुपया प्रतिवर्ष की पेशन के लिए सराशीकरण मूल्य

अगली जन्मतिथि पर आयु	वर्ष की क्रयसंक्षमा के रूप में अभिव्यक्त सराशीकरण मूल्य
1	2
17	19328
18	19.20
19	19.11
20	19.01
21	18.91
22	18.81
23	18 70
24	18.59
25	18.57
26	18 34
27	18.21
28	18 07
29	17.93
30	17.78
31	17.62
32	17.46
33	17.29
34	17.11
35	16 92
36	16.72
37	16.52
38	16.31
39	16.09
40	15.87
41	15.64
42	15.40
43	15.15
44	14.90
45	14.64
46	14.37
47	14.10
48	13.82
49	13.54
50	13.25
51	12 95
52	12 66
53	12 35
54	12 05
55	11 70
56	11 42
57	11 10
58	10.78
59	10 46
60	10.13
61	9.81
62	9.48
63	9.15
64	8.82
65	8 50
66	8 17
67	7 85
68	7.53
69	7.22
70	6.91
71	6.60
72	6.30
73	6.01
74	5.72
75	5.44
76	5.17
77	4.90
78	4.65
79	4.40
80	4.17
81	3.94
82	3.72
83	3.52
84	3 32
85	3.13

टिप्पणी :

(1) उपर्युक्त सारणी पेंशनभोगी की अगली जन्मतिथि पर उसकी आयु के संदर्भ में वर्षों की क्रम संख्या के रूप में अभिव्यक्त पेंशन संराशीकरण मूल्य दर्शाती है। अट्ठावन वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में संराशीकृत मूल्य 10 46 वर्ष का क्रय है, और यदि वह अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर अपनी मासिक पेंशन में रुपए एक सौ संराशित करता है तो उसे संदेय एकमुश्त राशि रु $100 \times 10\ 46 \times 12 = 12,552$ होगी।

(2) कोई कर्मचारी जिसने अपनी पेंशन के अनुज्ञात भाग का संराशीकरण किया है, संराशीकरण की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् संराशीकृत भाग की पेंशन की पुन: प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) कोई आवेदक जो अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अशक्तता पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के भिन्न का संराशीकरण कराने का हकदार होगा।

(4) ऐसे पेंशनभोगी की दशा में जो अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन का पात्र है, कोई चिकित्सीय जांच आवश्यक नहीं होगी, यदि आवेदक संराशीकरण के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाता है/करता है तो यदि ऐसा पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के पश्चात् पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो उसकी अनुमति चिकित्सीय परीक्षा के अधीन होगी।

स्पष्टीकरण—कोई आवेदक जो---

(1) इन विनियमों के विनियम 30 के अधीन अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, या

(2) इन विनियमों के विनियम 31 के अधीन अनुकंपा भत्ता प्राप्त करता है, या

(3) बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है और विनियम 33 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन पाने का पात्र है।

उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए पेंशन के किसी भिन्न संराशीकरण के लिए पात्र तभी होगा जब बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे स्वस्थ घोषित कर दिया जाए।

(5) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में—

(क) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होकर सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, पेंशन का संराशीकरण सेवानिवृत्ति की तारीख के ठीक बाद की तारीख को आत्यंतिक होगा ।

परन्तु यह कि विनियम 29 के उप विनियम (1) में दी गई सूचना की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ही आत्यंतिक होगा ।

(ख) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर या सेवानिवृत्त होकर या समयपूर्व सेवानिवृत्त होकर सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् किन्तु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर यदि वह पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा संराशीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख को आत्यंतिक होगा ।

(ग) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होकर या समयपूर्व सेवानिवृत्त होकर यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय प्रमाणपत्र की तारीख को आत्यंतिक होगा।

(घ) जो पहली नवम्बर, 1993 के पहले सेवानिवृत्त हो चुका है और जो की इन विनियमों के अधीन शासित होने के विकल्प का प्रयोग करता है, यदि विनियम 3 के उप विनियम (1) खण्ड के (ख) द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, तो पेंशन का संराशीकरण पहली नवम्बर, 1993 से, आत्यंतिक होगा।

(ङ) जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में था किन्तु जो इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है, यदि विनियम 3 के उप विनियम (2) खण्ड के (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन आत्यंतिक होगा ।

(च) जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होता है किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व जिसकी मृत्यु हो जाती है, यदि मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा विनियम 3 के उप विनियम (5) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है तो पेंशन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन आत्यंतिक होगा ।

(छ) जिसकी बाबत विनियम 30 के अधीन अशक्त पेंशन या विनियम 31 के अधीन अनुकंपा भत्ता या विनियम 33 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अनुज्ञेय है, पेंशन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र की तारीख को आत्यंतिक होगा ।

अध्याय 9

सामान्य शर्तें

42 पेंशन का भावी सदाचरण के अधीन होगा । इन विनियमों के अधीन पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसके निरन्तर दिए जाने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि भविष्य में सदाचरण बना रहे ।

43. पेंशन रोकना या प्रत्याहृत करना : यदि कोई पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध या आपराधिक न्यासभंग या कूटरचना या कपटपूर्ण कार्य करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो सक्षम प्राधिकारी, पेंशन या उसके किसी भाग को, लिखित आदेश द्वारा, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या प्रत्याहृत कर सकेगा ।

परन्तु यह कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है या प्रत्याहृत कर लिया जाता है वहां ऐसी पेंशन की रकम इतनी कम नहीं की जाएगी कि वह इन विनियमों के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम से कम हो जाए ।

44. न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध : जहां कोई पेंशनभोगी किसी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है वहां कोर्ट न्यायालय को ऐसी दोषसिद्धि से संबंधित निर्णय को ध्यान में रखकर की जाएगी ।

45. गंभीर अवचार के लिए दोषी पेंशनभोगी : किसी ऐसे मामले में जो विनियम 44 के अन्तर्गत नहीं आता है, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि पेंशनभोगी का गंभीर अवचार का प्रथमदृष्टया दोषी है तो कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व यथास्थिति सेवा विनियम या समझौते में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

46. अनंतिम पेंशन :

(1) यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई है या जहां विभागीय कार्यवाहियां चल रही है वहां उसको दी जा सकने वाली अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन की अनुमति उसे, कार्यवाहियों के समाप्त होने पर अनुज्ञात किए जाने वाले सेवानिवृत्ति फायदों के समायोजन के अधीन दी जाएगी किन्तु यदि अंतिम रूप से मंजूर पेंशन, अनंतिम पेंशन से कम है या पेंशन को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि लिए कम कर दिया गया है या रोक लिया गया है तो कोई वसूली नहीं की जाएगी ।

(2) ऐसे मामलों में कर्मचारी को उपदान का संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती है । उपदान का संदाय कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने पर कार्यवाहियों के निर्णय के अधीन किया जाएगा । किसी भी कर्मचारी से वसूल की जाने वाली धनराशि का समायोजन उसे संदेय उपदान की रकम से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस अध्याय में-

(क) 'गंभीर अपराध' पद के अंतर्गत ऐसा अपराध आता है जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के अधीन कोई अपराध अंतर्ग्रस्त है ।

(ख) 'गंभीर अवचार' पद के अंतर्गत कोई गुप्त शासकीय संकेत को या संकेत शब्द या किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को, जैसी कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 5 में वर्णित है, जो कि बैंक के अधीन किसी पद को धारण करते समय प्राप्त हुई थी, संसूचित या प्रकट करना है जिससे कि जनसाधारण के हितों पर या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(ग) 'कूटकर्म' पद का अर्थ वही होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 25 के अधीन है,

(घ) 'आपराधिक न्यासभंग' का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 405 के अधीन दिया गया है,

(ङ) 'कूटरचना' पद का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 463 के अधीन है,

47. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान पेंशन का संराशीकरण :—कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व संस्थित की गई है या जिसके विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई है ऐसी कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान, यथास्थिति, अपनी पेंशन या अनंतिम पेंशन किसी भाग का इन विनियमों के अधीन प्राधिकृत संराशीकरण का पात्र नहीं होगा ।

48. बैंक को पहुंचाई गई धन-संबंधी हानि की वसूली :

(1) यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में किसी पेंशनभोगी को अपनी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा या आपराधिक न्यासभंग या कूटरचना या कपटपूर्ण व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो पेंशनभोगी के कारण बैंक को हुई धन-संबंधी हानि के लिए सक्षम प्राधिकारी स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी पेंशन या उसके किसी भाग को रोक सकेगा है । प्रत्याहृत कर सकेगा है और पूरी रकम या उसके किसी भाग के पेंशन से वसूल करने का आदेश दे सकेगा है ।

परन्तु यह कि किसी अंतिम आदेश को पारित करने से पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि यदि विभागीय कार्यवाहियां यदि कर्मचारी के सेवाकाल में संस्थित की गई है तो कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर वे इस विनियम के अधीन कार्यवाहियां समझी जाएंगी और इन कार्यवाहियों को प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी द्वारा उन्हें इस प्रकार चालू रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा मानो कर्मचारी सेवा में बना हुआ है ।

परन्तु यह और भी कि यदि कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां कर्मचारी के सेवाकाल में प्रारंभ नहीं की गई है तो किसी ऐसे दोष हेतुक या ऐसी घटना की बाबत जो कार्यवाही संस्थित किए जाने की तारीख से चार वर्ष पूर्व उद्भूत हुआ हो या हुई हो, कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी ।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी धन संबंधी हानि की वसूली पेंशन में से करने का आदेश देता है वहां ऐसी वसूली सामान्यतया सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय पेंशन के एक तिहाई भाग से अधिक दर पर नहीं की जाएगी ।

परन्तु जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है या प्रत्याहृत किया जाता है तो वहां पेंशनभोगी की पेंशन राशि इन विनियमों के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन राशि से कम नहीं होगी ।

49. बैंक को शोध्य राशियों की वसूली :—बैंक पेंशन के संराशीकरण मूल्य या मासिक पेंशन या कुटुम्ब पेंशन से बैंक को देय अग्रिम ऋण, अग्रिम, अनुज्ञप्ति फीस, अन्य

वसूलियों और कर्मचारी सहकारी प्रत्यय सोसायटी का देय शोध्य राशियों को वसूली करने का हकदार होगा ।

50. सेवानिवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक नियोजन :

(1) यदि कोई पेंशनभोगी जो अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले अधिकारी का पद धारण कर रहा था अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसी स्वीकृति के लिए बैंक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा ।

(2) बैंक, उपविनियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा पेंशनभोगी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे पेंशनभोगी को आवेदन में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए ऐसी शर्तों से, यदि कोई हों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अधीन रहते हुए अनुज्ञा दे सकेगा या ऐसे कारणों के आधार पर अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगा जो आदेश में अभिलिखित किए जाएंगे ।

(3) किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए विनियम (2) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इन्कार करने में, बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(क) ग्रहण किए जाने के लिए प्रस्तावित नियोजन की प्रकृति और कर्मचारी का पूर्ववृत्त,

(ख) क्या उस नियोजन में जो वह ग्रहण करने का प्रस्ताव करता है, उसके कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जिनसे उसका बैंक के साथ विरोध हो ।

(ग) क्या पेंशनभोगी की जब वह सेवा में था तब उस नियोजक के साथ, जिसके अधीन वह नियोजन चाहता है ऐसा व्यवहार था कि जिससे यह सन्देह करने के लिए यह युक्तियुक्त आधार बनता है कि ऐसे पेंशनभोगी ने ऐसे नियोजक के प्रति पक्षपात किया था,

(घ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के कर्तव्यों में बैंक के साथ संपर्क या संबंध अंतर्वलित हैं,

(ङ) क्या उसके वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसे होंगे कि बैंक के अधीन उसकी पूर्ववर्ती पदीय स्थिति या ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोजन को अनुचित फायदा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है,

(च) प्रस्तावित नियोजक द्वारा प्रस्थापित परिलब्धियां, और

(छ) कोई अन्य सुसंगत बात ।

(4) जहां उप विनियम (4) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर बैंक आवेदित अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं करता है या आवेदक को इन्कार किए जाने की संसूचना नहीं देता है वहां यह समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदित अनुज्ञा दे दी है ।

परन्तु किसी ऐसी दशा में जहां आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी जाती है और बैंक के लिए उससे और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगना आवश्यक हो जाता है वहां साठ दिन की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको आवेदक द्वारा त्रुटियां दूर की गई हैं या पूर्ण जानकारी दी गई है ।

(5) जहां बैंक आवेदित अनुज्ञा किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए देता है या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार करता है वहां आवेदक उस आशय के बैंक के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी ऐसी शर्त या इन्कार किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा और बैंक उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे,

परन्तु इस उप विनियम के अधीन ऐसी किसी शर्त को रद्द करने वाले या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुज्ञा वाले किसी आदेश के भिन्न कोई आदेश, अभ्यावेदन करने वाले पेंशनभोगी के प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा,

(6) यदि कोई पेंशनभोगी बैंक की पूर्व अनुज्ञा के बिना अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या किसी ऐसी शर्त को भंग करता है जिसके अधीन कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुज्ञा उसे इस विनियम के अधीन दी गई है तो बैंक लिखित आदेश द्वारा और उसमें लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगा कि वह संपूर्ण पेंशन या उसके ऐसे भाग का ऐसे कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हकदार नहीं होगा ।

परन्तु ऐसा कोई आदेश संबंधित पेंशनभोगी की ऐसी घोषणा के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि इस उप विनियम के अधीन कोई आदेश करने में बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा :

(1) संबंधित पेंशनभोगी की वित्तीय परिस्थितियां,

(2) संबंधित पेंशनभोगी द्वारा ग्रहण किए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और उससे प्राप्त होने वाली परिलब्धियां, और

(3) कोई अन्य संगत बात ।

(7) बैंक द्वारा इस नियम के अधीन पारित किया गया प्रत्येक आदेश संबंधित पेंशनभोगी को संसूचित किया जाएगा ।

(8) इस विनियम में वाणिज्यिक नियोजन पद से—

(1) व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या वैत्तिक कारबार में लगी हुई किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित), सहकारी सोसाइटी, फर्म या व्यष्टि के अधीन अभिकर्ता सहित किसी भी हैसियत में कोई नियोजन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी का निदेशकत्व (बैंकिंग कंपनी सहित) और ऐसी फर्म की भागीदारी भी है, किन्तु ऐसे नियमित निकाय के अधीन नियोजन इसके अंतर्गत नहीं है जिस पर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का पूर्णतः या सारवान रूप से स्वामित्व या नियंत्रण है,

(2) स्वतंत्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार के रूप में, ऐसे मामलों में सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में व्यवसाय स्थापित करना अभिप्रेत है जिनकी बाबत पेंशनभोगी —

(अ) के पास कोई वृत्तिक अर्हताएं नहीं हों और जिन विषयों की बाबत व्यवसाय करना है या चलाना है उनका संबंध उसके पदीय ज्ञान या अनुभव से नहीं हो सकता है, या

(आ) के पास कतिपय अर्हताएं हैं जिनके लिए विषयों की बाबत ऐसा व्यापार करना है तो ऐसा है कि उसकी पूर्ववर्ती पदीय स्थिति के कारण उसके ग्राहकों को अनुचित फायदा प्राप्त होना संभाव्य हो, या

(इ) को ऐसा काम करना होगा जिससे बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संपर्क या संबंध स्थापित करना पड़ सकता हो,

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए "सहकारी सोसायटी के अधीन नियोजन" पद के अंतर्गत किसी पद का, चाहे वह निर्वाचित हो या अन्यथा, धारण करना आता है, जैसे—अध्यक्ष, सभापति, प्रबंधक, सचिव, कोषपाल, आदि चाहे उस सोसाइटी में वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।

51. नामनिर्देशन : (1) न्यास इन विनियमों द्वारा शासित प्रत्येक कर्मचारी को ऐसा नामनिर्देशन करने के लिए अनुज्ञात करेगा जिसमें पेंशनिक फायदों की रकम संदेय होने या संदेय हो जाने के पश्चात् संदत्त न किए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में इन विनियमों के अधीन पेंशन संबंधी फायदों की रकम प्राप्त करने का अधिकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया गया हो। ऐसे नामनिर्देशन ऐसे प्ररूप में किया जा सकेगा जो समय-समय पर बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) यदि कोई कर्मचारी उप विनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशन करता है तो वह नामनिर्देशन में नामनिर्देशिती में से प्रत्येक को संदेय अंश की रकम इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत उसकी मृत्यु के पश्चात् संदेय संपूर्ण पेंशनिक फायदे की रकम आ जाए।

(3) किसी कर्मचारी द्वारा किए गए नामनिर्देशन का, न्यास को बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में, लिखित सूचना देकर किसी भी समय उपांतरण किया जा सकता है या प्रतिसंहरण किया जा सकता है।

(4) कोई नामनिर्देशन अथवा उसका प्रतिसंहरण न्यास को प्राप्त होने की तारीख से उस विस्तार तक जिस तक वह विधिमान्य है, प्रभावी होगा।

52. पेंशन संदेय होने की तारीख : (1) ऐसे कर्मचारी के सिवाए जिसके विनियम 43 और विनियम 46 के उपबंध लागू होते हैं, कुटुम्ब पेंशन से भिन्न पेंशन उस तारीख से ठीक बाद की तारीख से संदेय होगी जिसको कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है।

(2) कुटुम्ब पेंशन, कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से संदेय होगी।

(3) पेंशन जिसके अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन भी है उस दिन के लिए संदेय होगी जिस दिन उसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है।

53. मुद्रा जिसमें पेंशन संदेय होगी : इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय सभी पेंशन केवल रुपये में और भारत में संदेय होगी।

54. पेंशन संदाय की रीति : मासिक दर पर नियत की गई पेंशन प्रतिमास आगामी मास के पहले दिन को या उसके पश्चात् संदेय होगी।

55. अनुदेश जारी करने की शक्ति : बैंक का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे।

56. अवशिष्ट उपबंध : संदेह की स्थिति में, इन विनियमों को लागू करने के मामले में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन सराशीकरण) नियम, 1981 के तत्स्थानी उपबंधों को ध्यान में रखा जाएगा किन्तु ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए भारतीय स्टेट बैंक समय समय पर बैंक के निदेशक बोर्ड से परामर्श करके और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से अवधारित करे।

परिशिष्ट 1

(विनियम 35 देखिए)

पहली जनवरी, 1986 और 31 अक्तूबर, 1987 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन के अद्यतन करने का सूत्र निम्नलिखित रूप में होगा :

अ (1) मूल पेंशन में निम्नलिखित राशि की वृद्धि की जाएगी :

(क) पेंशन के लिए गणना किए जाने योग्य औसत परिलब्धियों के प्रथम रु. 1000 का 50 प्रतिशत

रु.

(ख) अगले रु. 500 का 45 प्रतिशत

रु.

(ग) पेंशन के लिए गणना किए जाने योग्य रु. 1500 से अधिक औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत

(क+ख+ग) का योग

रु. (अ)

आ सेवानिवृत्ति के पहले सेवा के अंतिम दस मासों का औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत

रु. (आ)

इ उपर्युक्त (1) पर संगणित मूल पेंशन पर नीचे दी गयी सारणी के अनुसार 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 600 सूचकांक पर महंगाई राहत

रु. (इ)

ई कुल बढ़ी हुई मूल पेंशन

$$=(\text{आ})+(\text{इ})\times \frac{\text{अर्हक के वर्षों की संख्या (अधिकतम 33 वर्ष)}}{33}$$

रु. (ई)

उ तारीख 1-11-1993 को मूल पेंशन (अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित)

रु. (उ)

(2) अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि के लिए भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना में लिए जाने वाले विशेष भत्तों की रकम यथास्थिति, सेवा विनियम या समझौते, के अनुसार भविष्य निधि की श्रेणी में आने वाले विशेष भत्तों की मात्रा के संदर्भ में बढ़ाई जाएगी।

सारणी

1-1-1986 से 31.10.1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए 1960=100 सूचना में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर निकाली गयी महंगाई राहत की दरें :

(क) अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी — ऊपर (1) पर परिकलित पेंशन का 80.40 प्रतिशत

(ख) रु० 756 – प्रतिमास तक पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय स्टाफ के कर्मचारी — ऊपर (1) पर परिकलित पेंशन का 67 प्रतिशत

(ग) रु० 757/– प्रतिमास और उससे अधिक पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी निम्नलिखित महंगाई राहत के पात्र होंगे :

प्रतिमाह ली जाने वाली मूल पेंशन की रकम रु०	अनुज्ञेय महंगाई राहत की रकम रु०
1	2
757— 796	508.00
797— 804	534.00
805— 824	540.00
825— 844	553.00
845— 864	567.00
865— 884	580.00
885— 904	593.00
905— 924	607.00
925— 944	620.00
945— 964	634.00
965— 984	647.00
985—1004	660.00
1005—1024	674.00
1025—1044	687.00
1045—1064	701.00
1065—1084	714.00
1085 और उससे अधिक	727.00

(घ) अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी निम्नलिखित रीति से महंगाई राहत के लिए पात्र होंगे :—

(1) रु. 765/- प्रतिमास तक मूल पेंशन पाने वालों के लिए — उपर्युक्त खं (1) के अनुसार परिकलित पेंशन की रकम का 66 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम राशि रु. 500 होगी।

(2) रु. 766/- से रु. 1165/- प्रतिमास तक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	रु. 500/
(3) रु 1166/- प्रतिमास या उससे अधिक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	उपर्युक्त अ (1) के अनुसार परिकलित पेंशन की रकम का 42.90 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम रु. 715 होगी ।

परिशिष्ट 2

(विनियम 37 देखिए)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित रूप में होगी :

(1) ऐसे कर्मचारियों की दशा में जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किंतु 1 नवम्बर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 600 अंकों को ऊपर प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी । ऐसे प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगी .

प्रतिमास मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1) रु. 1250/- तक	0.67 प्रतिशत
(2) रु. 1251/- से रु. 2000/-	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत धन (+) रु. 1250/- से अधिक मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत
(3) रु. 2001/- से रु. 2130/-	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत धन (+) रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत धन (+) रु 2000/- से अधिक मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत
(5) रु 2130/- से अधिक	रु. 1250/- का 0 67 प्रतिशत धन (+) रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत धन (+) रु. 2130/- और रु. 2000/- के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत जमा (+) रु. 2130/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत

(2) ऐसे कर्मचारियों की दशा में जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 1148 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंक की महंगाई राहत, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी। ऐसे प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गयी रीति से की जाएगी :

प्रतिमास मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1) रु. 2400/- तक	0.35 प्रतिशत
(2) रु. 2401/- से रु. 3850/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत धन (+) रु. 2400/- से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत
(3) रु. 3851/- से रु. 4100/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत धन (+) रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0 29 प्रतिशत धन (+) रु. 3850/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत
(4) रु. 4100/- से अधिक	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत धन (+) रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत धन (+) रु 4100/- और रु 3850/- के बीच के अंतर का 0 17 प्रतिशत जमा (+) रु 4100/- से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत ।

(3) महंगाई राहत पहली फरवरी से प्रारंभ होने वाली और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए पूर्व वर्ष के अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर माह के लिए प्रकाशित सूचकांक के तिमाही औसत के आधार पर तथा पहली अगस्त से प्रारंभ होने वाली और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिए उसी वर्ष के अप्रैल, मई और जून मास के लिए प्रकाशित सूचकांक के तिमाही औसत के आधार पर सदेय होगी ।

(4) कुटुम्ब पेंशन, अशक्त पेंशन और अनुकंपा भत्ते के मामले में महंगाई राहत उपर्युक्त दरों के अनुसार सदेय होगी।

(5) महंगाई राहत सराशीकरण के पश्चात भी पूर्ण मूल पेंशन पर अनुज्ञात होगी ।

(6) अतिरिक्त पेंशन महंगाई राहत सदेय नहीं है ।

परिशिष्ट 3

(विनियम 39 देखिए)

कुटुम्ब पेंशन की सामान्य दरें निम्नलिखित होंगी :

(क) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न 1-11-1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए, अंशकालिक कर्मचारियों की बाबत

प्रतिमाह वेतन (1)	कुटुम्ब पेंशन की मासिक रकम (2)
1500 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 375 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा ।
1501 रु. से 3000 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 450 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा ।
3000 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 600 रु. प्रतिमास से कम और 1250 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगा ।

(ख) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न 1-11-1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले, कर्मचारियों की बाबत

प्रतिमास वेतन (1)	की बाबत कुटुम्ब पेंशन की मासिक रकम (2)
2870 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम 720 रु. प्रतिमास होगा ।
2871 रु. से 5740 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम रु. 860 प्रतिमास होगा ।
रु. 5740 से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम रु. 1150 प्रतिमास और अधिकतम रु. 2400 प्रतिमास होगा ।

टिप्पणी :

(1) महंगाई राहत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन पर लागू नहीं है ।

(2) यथापूर्वोक्त कुटुम्ब पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए 'वेतनमान' विनियम 2 के उप खंड (ध) में यथापरिभाषित 'वेतन' और विनियम 33 के उप विनियम (3) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित भत्ता का योग होगा ।

(3) अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, कुटुम्ब पेंशन की न्यूनतम राशि और कुटुम्ब पेंशन की अधिकतम राशि, कर्मचारी को मिलने वाली मजदूरी मान की दर के अनुपात में होगी ।

परिशिष्ट 4

(विनियम 27 देखिए)

मजदूरी मान पर स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई वास्तविक सेवा	पेंशन की राशि के परिकलन के लिए स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए तत्स्थानी अर्हक सेवा की अवधि
(1)	(2)
छह घंटे या उससे अधिक किन्तु 13 घंटे से कम	वर्ष का एक तिहाई
13 घंटे से अधिक किन्तु 19 घंटे से कम	वर्ष का आधा
19 घंटे से अधिक किन्तु 29 घंटे तक	वर्ष का तीन चौथाई
29 घंटे से अधिक	एक वर्ष

यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया

कार्मिक प्रशासन (अधिकारी कर्मचारी) प्रभाग

प्रधान कार्यालय

कलकत्ता-700001

सं 2/95 यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया का निदेशक बोर्ड, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970) 1970 का 51/1980 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 इन विनियमों का नाम यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1995 है ।

2 ये विनियम प्रकाशन 26-06-1995 से प्रवृत्त होंगे ।

3 विद्यमान विनियम 20 का स्थान निम्नलिखित लेगा ।

वर्तमान प्रावधानों का सारांश	संशोधित विनियमन का सारांश

सत्यमेव जयते

ए राय

महाप्रबंधक

(कार्मिक)

अनुबंध

विनियम 20(1) सेवा का पर्यवसान

वर्तमान विनियमन	संशोधित विनियम
(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से निकाला गया)	
विनियम 16 के उपविनियम (3) के अधीन रहते हुए, बैंक किसी अधिकारी की सेवाओं का पर्यवसान तीन मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में उसे तीन मास की परिलब्धियों का संदाय करके कर सकेगा ।	(क) विनियम 16 के उपविनियम (3) के अन्तर्गत यदि बैंक इस बात से संतुष्ट है कि अधिकारी का कार्य निष्पादन या तो असंतोषजनक है, या अपर्याप्त है, या उसकी ईमानदारी के विषय में वास्तविक संदिग्धता है या उसे बैंक की सेवाओं में रखना बैंक के हित में क्षतिजनक हो सकता है और जहां उसके विरुद्ध अनुशास्नात्मक कार्यविधि के अनुसार त्वरित कार्यवाही करना संभव नहीं है, बैंक उसे तीन मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास की परिलब्धियों का संदाय करके उसे सेवा मुक्त कर सकता है । (ख) इस उपविनियम के अंतर्गत सेवा समाप्ति के आदेश तब तक पारित नहीं किए जाएंगे जब तक कि अधिकारी को बैंक के प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का यथोचित अवसर न दिया जाए । (ग) उपविनियम (क) के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति का निर्णय केवल अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा लिया जाएगा । (घ) अधिकारी कर्मचारी को उपविनियम (क) के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष 15 दिन के अंदर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा । यदि यह अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है तो उपविनियम (क) के अंतर्गत पारित आदेश निरस्त समझा जाएगा । (च) जहां एक अधिकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गयी है और उसे तीन मास की लिखित सूचना के बदले तीन मास की परिलब्धियों का संदाय किया जा चुका है परन्तु उसके अभ्यावेदन पर उसकी सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त कर दिया गया है ऐसी स्थिति में लिखित सूचना के एवज में दी गयी परिलब्धियां उसके देय वेतन से समायोजित कर दी जाएंगी और ऐसा समझा जाएगा कि वह बैंक की सेवा में सामान्य शर्तों पर स्थापित था मानो सेवा समाप्ति का आदेश पारित ही नहीं किया गया था । (छ) एक अधिकारी कर्मचारी जिसकी सेवा उपविनियम (क) के अंतर्गत समाप्त कर दी गयी है, को उपदान, भविष्यनिधि नियोजक के अंशदान सहित और नियमानुसार स्वीकार्य सभी दूसरे देय, किए गए सेवा वर्षों के अनुसार संदाय किया जाएगा । (ज) विनियम 19(1)) के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का बैंक के अधिकार पर उपर्युक्त से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

वर्तमान विनियमन	संशोधित विनियम
विनियम 20(2) : कोई अधिकारी बैंक की सेवा तब तक नहीं छोड़ेगा या विच्छिन्न नहीं करेगा जब तक कि वह सेवा छोड़ने या विच्छिन्न करने या पद त्याग करने की सूचना पहले से लिखित रूप में नहीं दे देगा। अपेक्षित सूचना की अवधि तीन महीने होगी और इन विनियमों में निर्धारित किए अनुसार सक्षम प्राधिकारी को सौंपी जाएगी । परन्तु सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की अवधि घटाकर कम कर सकता है या सूचना की शर्त माफ कर सकता है ।	कोई अधिकारी बैंक की सेवा तब तक नहीं छोड़ेगा या विच्छिन्न नहीं करेगा जब तक कि वह सेवा छोड़ने या विच्छिन्न करने या पदत्याग करने की सूचना पहले से लिखित रूप में नहीं दे देगा। अपेक्षित सूचना की अवधि तीन महीने होगी और इन विनियमों में निर्धारित किए अनुसार सक्षम प्राधिकारी को सौंपी जाएगी । परन्तु सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की अवधि घटाकर कम कर सकता है या सूचना की शर्त माफ कर सकता है ।
विनियम 20(3) : (क) उप विनियम (2) में उल्लिखित से विपरीत कुछ होते हुए भी, कोई अधिकारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन हो, सक्षम प्राधिकारी के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा/विच्छिन्न नहीं करेगा या पद-त्याग नहीं करेगा और अनुशासनिक कार्यवाई के पूर्व या दौरान ऐसे किसी अधिकारी द्वारा दी गई पद-त्याग की सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न हुई हो । (ख) इस विनियम के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही वैसी स्थिति में लंबित समझी जाएगी जब कि उसे निलंबन के अधीन रखा गया है या जब कि उसे कारण बताने के लिए कोई सूचना जारी की गई है कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई नहीं की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक लंबित समझी जाएगी । (ग) ऐसा अधिकारी जिस पर कदाचार का आरोप लगा हो, वह सेवा-निवृत्त नहीं होगा या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख तक पहुंचने पर उसे सेवा-निवृत्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी बल्कि उसे तब तक सेवा में रोक लिया जाएगा जब तक कि आरोप से संबंधित सभी जांच-पड़ताल समाप्त न हो जाए और उस पर अंतिम आदेश पारित न हो जाए ।	1. कोई अधिकारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई विचाराधीन हो, सक्षम प्राधिकारी के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा/विच्छिन्न नहीं करेगा या पद-त्याग नहीं करेगा और अनुशासनिक कार्यवाई के पूर्व या दौरान ऐसे किसी अधिकारी द्वारा दी गई पद-त्याग की सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न हुई हो । 2. इस विनियम के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही वैसी स्थिति में लंबित समझी जाएगी जब कि उसे कारण बताने के लिए कोई सूचना जारी की गई है कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक लंबित समझी जाएगी। 3. अधिकारी जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है सेवा निवृत्ति की तिथि पर ही सेवा समाप्ति हो जाएगी ; लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी मानो वे सेवा में ही हैं जब तक कि चल रही जांच पड़ताल पूरी न हो जाए और इस दिशा में अन्तिम तिथि के पश्चात वेतन व भत्ता देय नहीं होगा । जब तक जांच पड़ताल पूर्ण नहीं होती है और अन्तिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तब तक भविष्यनिधि में उसके अपने अंशदान को छोड़कर अन्य सेवान्त लाभ प्राप्त करने का उसे हक नहीं होगा ।

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 26 फरवरी 1996

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं. 3-सी. सी. ए. (4)/1/95-96—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है ।

क्र. सं.	सदस्यता सं.	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	15	श्री पिथी राज मेहरा, एच. ओ 56, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 ।	27-9-95
2.	216	श्री सोहन लाल खिन्नारिया, एस-66, पंच शिला पार्क, नई दिल्ली-110017 ।	17-2-95
3.	433	श्री के. लोकनारायणन, केयर आफ मैसर्स डी. सिंह एण्ड कं., सी-97, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 ।	20-4-95
4.	3098	श्री सिरी राम कपूर, आर-289 सी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 ।	11-2-95

1	2	3	4
5.	8859	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, 1 सी/13, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 ।	13-2-95
6.	17761	श्री स्वतन्त्र कुमार जैन, 1/1293, गाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 ।	15-5-95

ए. के. मजूमदार
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1996

सं. यू-16/53/91-चि.2 (तमिलनाडु)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में, मैं इसके द्वारा कोयम्बतूर केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा. के. आर. सुब्रमनियम की सेवाएं एक और वर्ष के लिए (24-1-96 से 23-1-97 तक) या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो बढ़ाता हूं ।

एस. के. शर्मा
महानिदेशक

दिनांक 28 फरवरी 1996

सं. यू-16/53/91-चिक.-2 (अन्ध्र प्रदेश) भाग-1—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसार मैं मैं एतद्द्वारा विजयवाड़ा केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण पू. जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उप निदेशक बीमा चिकित्सा सेवाएं विजयवाड़ा, की सेवाएं एक और वर्ष के लिए (19-11-95 से 18-11-96 तक) या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाता हूं ।

एस. के. शर्मा
महानिदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110015, दिनांक 11 मार्च 1996

सं. 2/1959/डी एल. आई.-89/भाग-1/694—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

और जबकि मैं, एच. डब्ल्यू. टी. स्यैम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, एच. डब्ल्यू. टी. स्यैम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु (मद्रास) ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत क्रीम प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाईल नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० गोपाल मेटल कंटेनर्स (प्रा०) लि० प्लाट 8 (एन० पी०) गुण्डी इण्डस्ट्रियल स्टेट एक्काटुथल, मद्रास-97	टी० एन०/6943	1-5-92 से 30-4-95 1-5-95 से 30-4-98	डी०एल० आई०/14 (128)/95/ टी० एन०
2.	मै० एस० आर० पी० टूल्स लि० एन्ट्रन्स नं० 110, लाटीम ब्रिज रोड, मद्रास-41	टी० एन०/5178	1-6-92 से 31-5-95 1-6-95 से 31-5-98	डी० एल० आई०/14 (124) 95/ टी० एन०
3.	मै० डुआ ब्राड स्ट्रीटमतैम सोफ्ट वेयर 226, कालेड्राम रोड, मद्रास-86	टी० एन०/31309	1-11-94 से 31-10-97	डी० एल० आई०/14 (126) 95/टी० एन०
4.	मै० इगनैसांस सोफ्टवेयर सर्विसस (इण्डिया) प्रा० 6/6 क्रोण कोर्ट 34, कालेड्राम रोड, मद्रास -86	टी० एन०/31256	1-9-94 से 31-8-97	डी० एल० आई०/ 14 (125) 95/डी० एन० आई०
5.	मै० सिन्डिकेट एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०, शैड न० 5, नेहरु नगर, करामाबाई-641104	टी० एन०/25989	1-8-93 से 31-7-96	डी० एल० आई०/14(129) 95/टी० एन०
6.	मै० आयुलेक प्रोसिंग सिस्टम प्रयोगशाला, कोटकपुरम पांडिचेरी	पी० सी०/262	1-3-90 से 28-2-93 1-3-93 से 29-2-96	डी० एल० आई०/14(117)/95/ टी० एन०
7	मै० सामसन रबड़ इण्डस्ट्रीम प्रा० लि०, प्लाट नं० 3, इण्डस्ट्रियल एस्टेट अम्बादूर, मद्रास-98 म० 59, जी ब्लाक, 19, गली अन्ना नगर, वेस्ट, मद्रास-50	टी० एन०/10179	1-7-92 से 30-6-95 1-7-95 से 30-6-98	डी० एल० आई०/14(116)/95/ टी० एन०
8.	मै० अरूणा सुगरर्स फनान्स लि० नं० 145, स्टलिंग रोड, मद्रास-34	टी० एन०/19925	1-2-95 से 31-1-98	डी० एल० आई०/14/137/ 95/ टी० एन०
9.	मै० सानमाक मोटोर फैनान्स लि० जे० वी० एल० प्लाजा ग्राउन्ड फ्लोर नं० 501, अन्ना सलाई, मद्रास-18	टी० एन०/19915	1-11-94 से 31-10-97	डी० एल० आई०/14/133/95/ टी० एन०

1	2	3	4	5
10	मैं० इन्ड बैंक हाउसिंग लि० न० 178 हाई रोड, मद्रास–34	टी० एन०/30444	1–7–93 से 30–6–96	डी० एल० आई०/14/134/95/ टी० एन०
11.	मैं० दि तमिलनाडु डेवलपमेंट कारपोरेशन न० 759 अन्ना सलाई, मद्रास–2	टी० एन०/9055	1–1–92 से 31–12–94 1–1–95 से 31–12–97	डी० एल० आई०/14/135/95/ टी० एन०
12.	मैं० सोलिंगुर टैक्सटाइल्स लि० पोस्ट बाक्स–1 अराकोणम रोड, सोलिंगुर एन० ए० ए० जिला–631102	टी० एन०/6294	1–1–92 से 31–12–94 1–1–94 से 31–12–96	डी० एल० आई०/14(90)/95/ टी० एन०
13.	मैं० तिरूपतूर को०-आपरेटिव शुगर मिल्स लि० केतन्डापट्टी एन० ए० ए० जिला–635815	टी० एन०/11146	1–2–90 से 31–1–93 1–2–93 से 31–1–96	डी० एल० आई०/14/136/95/ टी० एन०

अनुसूची-II

1 उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2–क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो यह रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एच. डब्ल्यू. टी. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Mumbai, the 23rd March 1996

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 (as amended under the Notification No. F(3)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extraordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended 31st January 1996 is hereby advertised of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government & Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts: List 'A' being securities now advertised for the first time and list 'B' the list of securities previously advertised.

LIST 'A'

No. of Security	Value in Rs./Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
6 1/2% Loan 2005 [Bombay (Fort) Circle]					
BY-011101 103	Rs. 75,000/-	1. N.J. Kotak 2. K.B. Kotak 3. S.K. Chatterjee or any 2 of them	1-4-93	M/s Batliwala and Karani	Case No. 20-04-2002 General Manager's order dated 1-1-96 C.O. Diary No. 413 dated 4-1-96

LIST 'B'

No. of Security	Value Rs./Gms	In whose name Issued	From what date bearing interest	Name/s of the claimants for issue of duplicate/ payment of discharge value	No. and date of order issued	Date of publication under P.D. Act 9 of 1944 of list in which the security was first published
1	2	3	4	5	6	7
9% Relief Bond 1987 (Calcutta Circle)						
CA 001657	Rs. 2,00,000/-	Aloo Erachshaw Driver & Erach Bomanji Driver (deceased)	Interest paid upto March 1994	Aloo Erachshaw Driver	File No. I. 2509 General Manager's Order dated 20-12-95 vide Dy. No. LCO-108/95/96 dt. 21-12-95	

1	2	3	4	5	6	7
			3% Con. Loan 1946 (Calcutta Circle)			
CA 355014	Rs. 2,000/	Girija Sankar Banerjee	Interest due from 67th Half-year	Girija Sankar Banerjee	File No. I-2364 General Manager's Order dated 22-12-95 vide Dy. No. LCO/109/95/96 dt. 23-12-95	
CA 365972	Rs. 1,000/-	Do.	Do	Do.	Do.	
			9% Relief Bonds 1993 (Non-Cumulative) (Nagpur Circle)			
NG 000005	Rs. 50,000/-	M/s. D.S. Kibe (HUF)	12-9-94	M/s. D.S. Kibe (HUF)	Dy. General Manager's Order No. G/65 dated 30-10-95	
			3% Conversion Loan 1946 (Calcutta Circle)			
CA 382285	Rs. 5,000/-	Sukumar Mukherjee (deceased)	Inerest due from 72nd half year	State Bank of India, Suri	File No. I-2511 General Manager's Orders 16-11-95 vide Dy. No. LCO/77/95/96 dated 16-11-95	

D.C. PADALKAR
P. Chief General Manager.

CORRIGENDUM

Corrigendum to the list of lost etc. IFC Bonds for the half year ended 30-6-1996 published in Gazette of Government of India dated 30-11-1995

Sl. No.	Page No.	Nomenclature of the loan	Nature of discrepancy lies
English version			
1.	2275	11% I.F.C. Bonds 2003 (49th Sr.)	(a) In column 2 the mark @ before G.P. Note No. By 000105 is not printed.
			(b) In column 7 the case No. **20-04-1989** is printed **as 20-4-1989**
			(c) In column 2 the remark in bracket (3x 1,00,000/-) is wrongly printed as (3x71,00,000/-) below **G.P.** Note Nos. BY-000075-77
2.	2275	11.5% I.F.C. Bonds, 2009 (52nd Sr.)	(d) The nomenclature of loan 11.5% I.F.C. Bonds 2009 (52nd Sr.) is printed as 11.5%.I' F' C' Bonds, 2009
			(b) The remark "C.O Diar" is wrongly printed below G.P. Notes at Sr. No. 9 at column No. 6.
3.	2275	11.5% I.F.C. Bonds, 2009 (52nd Sr.)	(a) at Sr. No. 8, 9, 10 the G.P. Note Nos. & amounts are not clear
			(b) Remark "do" in column 7 at Sr. Nos 9 & 10 is not printed.

K. N. GANGURDE
Chief General Manager

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai, the 2nd March 1996

No. 8/1996.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and with the approval of Reserve Bank of India the State Bank of India has appointed the firms of Auditors noted against each of the following subsidiary banks as Auditors of that Subsidiary Bank :

Name of the Bank	Name of the Auditors
1	2
State Bank of Bikaner & Jaipur	M/s. Prakash Chandra Jain & Co., 123-124, Bapu Bajar, 2nd Floor, Udaipur. M/s. Prasad Azad & CO., 7/7, Desh Bandhu Gupta Road, Pahar Ganj, New Delhi. M/s. S. R. Goyal & Co., 1-A, Sangaram Colony Scheme, Jaipur. M/s D. Singh & Co., C-97, Panchsheel Enclave, New Delhi.
State Bank of Hyderabad	M/s. G. K. Rao & Co., 5-3-340 Rashtrapathi Road, Hyderabad. M/s. S. R. Mohan & Co., 5-4-435/18, 2nd Floor, Nampally Station Road Hyderabad. M/s. D V. Ramana Rao & Co., 1-1-773/A Gandhinagar, Hyderabad. M/s. Varadachary & Co., 10 Abid Shoping Centre, Chirag Ali Lane, Hyderabad. M/s. Dhawan & Gulati, 302, Kusal Bazar, 32-33 Nehru Place, New Delhi.
State Bank of Indore.	M/s. Kanwalia & Co., 12 Shahid Bhagat Singh Marg New Delhi. M/s. K. M. Agarwal & Co., 36 Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi. M/s. SCJ Associates, 1/129 F Professors Colony, Hariparwa, Agra. M/s. S. P. Marwaha & Co., 8A/4 Weston Extension Area, Karol Bagh., New Delhi.
State Bank of Mysore	M/s. Sridhar & Santhanam, 98A ,4the Floor, Radhakrishan Salai, Mylapore, Madras.

1	2
	M/s. N. C. Mitra & Co., 10 Old Post Office Street, Calcutta. M/s. M. Sun & Co., Flat 17, No. 4 North Boag Road, T. Nagar, Madras. M/s. Hariharan Narayan & Co., 4581 Naratinharya Mohalla, "Gomathi", Mysore.
State Bank of Patiala	M/s. Bhushan Bansal Jain Associates., 4648/21, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi. M/s. Prem Gupta & Co., 3071/4 Golf Market, Near Golcha Cinema., Darya Ganj, New Delhi. M/s.Kansal Singla and Associates., SCO 1114-15 Sector 22-B, Chandigarh. M/s. Sumer Bansal & Co., 36 Netaji Subhash Marg, New Delhi. M/s. S. K. Bhattachariya & Co., Raja Chambers, (1st Floor), 4, Kiran Sankar Roy Road, Calcutta.
State Bank of Saurashtra	M/s. Uberoi Sood & Kapoor, 606, Vishal Bhawan, 90, Nehru Place, New Delhi. M/s. Sri Raviverma & Co., No. 1, Community Centre, 1st Floor, East of Kailash, New Delhi. M/s. T. K. Ghose & Co., 6, Kiran Shankar Roy Road, Calcutta. M/s. Ramesh C. Agarwal & Co., 33, Shiv Charan Lal Road Near Manasarovar Cinema, Allahabad.
State Bank of Travancore	M/s. Essveeyar, 59 Fourth Street, Abhiramapuram Madras. M/s. George Read & Co., 10 Chowringhee Square, Avenue House, Calcutta. M/s. Ananthan & Sundaram, D' Sivakarthi', 123, Sankar Nagar, Neeramankara, Trivandrum

1	2
	M/s, Elias George & Co., 40/6633, Mullassery Canal Road, Ernakulam, Cochin.

2. The appointments are in respect of the accounting period ending 31st March, 1996 but the firms will be retained for a continuous term of four years, (including the period already served by them) subject to their complying with the prescribed norms and other usual requirements.

R. VISWANATHAN
Dy. Managing Director
(Associates & Subsidiaries)

Mumbai, the 14th March 1996

No. 9/1996.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) and Clause (o) of Sub-Section (2) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of Associate Banks, the State Bank of India has adopted the State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/Travancore (Employees') Pension Regulations, 1995, as per annexure.

By the Order of the Central Board
R. VISWANATHAN
Dy. Managing Director
(Associates & Subsidaries

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR/HYDERABAD/INDORE/MYSORE/PATIALA/SAURASHTRA/TRAVANCORE (EMPLOYEES') PENSION REGULATIONS, 1995.

PENSION REGULATIONS

Preamble :

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and Clause (O) of Sub-section (2) of Section 63 of the SBI Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, in consultation with the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur / Hyderabad / Indore / Mysore / Patiala / Saurashtra/ Travancore and with the approval of the RBI, has made the following regulations to provide for the establishment and maintenance of pension fund for the benefit of the employees of the State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/Travancore.

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. *Short title and commencement* :

(1) These regulations may be called State Bank of Bikaner & Jaipur / Hyderabad / Indore / Mysore / Patiala/ Saurashtra / Travancore (Employees') Pension Regulations, 1995.

(b) Save as otherwise expressly provided in these regulations, these regulations shall be deemed to have come into force w.e.f. 29-09-1995.

2. *Definitions* :

In these regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

(b) "actuary" shall have the meaning assigned to it in clause (1) of Section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

(c) "Appendix" means, an Appendix annexed to these regulations.

(d) "average emoluments" means the average of the pay drawn by an employee during the last ten months of his service in the Bank.

(e) "Bank" means State Bank of Bikaner & Jaipur/ Hyderabad / Indore / Mysore / Patiala / Saurashtra / Travancore.

(f) "Board" means the Board of Directors of the Bank.

(g) "child" means a child of the employee, who, if a son, is under twenty-five years of age and if a daughter, is unmarried and is under twenty-five years of age and the expression "children" shall be construed accodingly.

(h) "competent Authority" means the authority appointed by the Board for the purpose of these Regulations.

(i) "consolidated wages" means lump sum amount payable to part-time employee belonging to the subordinate staff who is not drawing scale wages;

(j) "contribution" means any sum credited by the Bank on behalf of employee to the Fund, but shall not include any sum credited as interest;

(k) "date of retirement" means the last date of the month in which an employee attains the age of superannuation or the date on which he is retired by the Bank or the date on which the employee voluntarily retires; or the date on which the officer is deemed to have retired;

(l) "deemed to have retired" means cessation from service of the Bank on appointment otherwise on deputation by Central Govt. as a whole time Director or Managing Director or Chairman in any Bank specified in Column 2 of the FIRST SCHEDULE of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Understandings) Act, 1970 (5 of 1970)/ Banking Companies (Acquisition and Transfer of Understandings) Act, 1980 (40 of 1980) or in any public financial institution or State Bank of India established under State Bank of India, Act, 1955 (23 of 1955) or in Subsidiary Banks as defined in State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

(m) '(Service Regulations" means sections of State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/ Patiala/Saurashtra/Travancore (Officers') Service Regulations, 1979.

(n) "employee" means any person employed in the service of the Bank on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages and who opts and is governed by these regulations, but does not include a person employed either on contract basis or daily wage basis or on consolidated wages;

(o) "family" in relation to an employee means—

(a) wife in the case of male employee or husband in the case of a female employee;

(b) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery and the person surviving was not held guilty of committing adultery;

(c) son who has not attained the age of twenty-five years and unmarried daughter who has not attained the age of twenty-five years, including such son or daughter adopted legally;

(p) "financial year" means a year commencing on the 1st day of April;

(q) "Fund" means the State Bank of Bikaner & Jaipur/ Hyderabad/ Indore/ Mysore/Patiala/ Saurashtra/ Travancore (Employees') Pension Fund constituted under regulation 5;

(r) "notified date" means the date on which these regulations are published in the official gazette;

(s) "pay" includes—(a) in relation to an employee who has either retired or died while in service on or after the 1st day of January 1986 but before the 1st day of November, 1993.

(i) the basic pay including stagnation increments, if any, and

(ii) all allowances counted for the purpose of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance;

(b) in relation to an employee who is *in service or retires* or dies while in service on or after the 1st day of November, 1993.

(i) the basic pay including stagnation increments, if any, and

(ii) all allowances counted for the purpose of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance; and

(iii) increment component of Fixed Personal Allowance; and

(iv) dearness allowance calculated upto Index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for Industrial workers in the series 1960=100;

(t) "pension" includes the basic pension and additional pension referred to in Chapter VI of these regulations.

(u) "pensioner" means an employee eligible for pension under these regulations;

(v) "public financial institution" means a financial institution regarded as a public financial institution for the purposes of section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(w) "qualifying service" means the service rendered while on duty or otherwise which shall be taken into account for the purpose of pension under these regulations;

(x) "retired" includes deemed to have retired under clause (1);

(y) "retirement" means cessation from Bank's service,
(a) on attaining the age of superannuation specified in Service Regulations or Settlements;

(b) on voluntary retirement in accordance with provisions contained in regulation 29 of these regulations;

(c) on premature retirement by the Bank before attaining the age of superannuation specified in Service Regulations or Settlement.

(z) "scale wages" in relation to part-time employees means the basic pay, City Compensatory Allowance, Special Allowances, House Rent Allowance and other allowances, if any, and dearness allowance payable from time to time under the settlement;

(za) "service regulations" means State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/Travancore (Officers') Service Regulations, 1979 made under section 63 of the Act;

(zb) "settlement" means memorandum of settlement agreed between the management of the Bank represented by the association authorised by them and workmen of such Bank represented by trade unions authorised by them;

(zc) "trust" means the State Bank of Bikaner & Jaipur/ Hyderabad/Indore/Mysore / Patiala / Saurashtra / Travancore (Employees') Pension Fund constituted under sub-regulation (1) of regulation 5;

(zd) "trustee" means the trustees of the State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/Travancore (Employees') Pension Fund constituted under sub-regulation (1) of Regulation 5;

(ze) "trustee of the Provident Fund" means the trustees of the Provident Fund of the Bank.

(zf) all other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act or the Service Regulations or settlements shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act, the Service Regulations or settlement, as the case may be.

CHAPTER II

APPLICATION AND ELIGIBILITY

Application—These regulations shall apply to employees who,—

(1) (a) were in the service of the Bank on or after the 1st day of January, 1986 but had retired before the 1st day of November, 1993; and

(b) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(c) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (b) the entire amount of the Bank's contribution to the Providen Fund including interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six percent per annum on the said amount from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank, or

(2)(a) have retired on or after the 1st day of November, 1993 but before the notified date; and

(b) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(c) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (b) the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund and interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum on the said amount from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank; or

(3) (a) are in the service of the Bank before the notified date and continue to be in the service of the Bank on or after the notified date; and

(b) exercise on option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(c) authorise the trust of the Provident Fund of the Bank to transfer the entire contribution of the Bank alongwith the interest accrued thereon to the credit of the Fund constituted for the purpose under regulation 5; or

(4) join the service of the Bank on or after the notified date, or

(5) were in the service of the Bank during any time on or after the 1st day of November, 1993 and had died after retirement but before the notified date,

their family shall be entitled for the amount of pension payable to them from the date on which they would have been entitled to pension under these regulations, had they been alive till the date on which they died, if the family of the deceased—

(a) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(b) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (a) above the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund and interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank; or

(6) joined the service of the Bank on or after the 1st day of November, 1993 but who have died while in the service of the Bank before the notified date, their family shall be entitled to the family pension under these regulations:

Provided that the family of such a deceased employee refunds within one hundred and eighty days from the notified date the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund, if any, and interest accrued thereon together with further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank;

Provided further that the family of such a deceased employee shall apply in writing for grant of family pension; or

(7) were in the service of the Bank during any time on or after the 1st day of January, 1986 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1993 or had retired on or before the 31st day of October, 1993 but died before the notified date in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension as the case may be under these regulations, if the family of the deceased,—

(a) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(b) refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (a) above the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund and interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank, or

(8) joined the service of the Bank on or before the 31st day of October, 1993 and who died while in service on or after the 1st day of November, 1993, but before the notified date in which case their families shall be entitled to family pension under these regulations if the family of the deceased employee,—

(a) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become a member of the Fund; and

(b) refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (a) above the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund, including interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account of the employee till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank;

(9) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), (2), (3), (5) and (8) an option exercised before the notified date by an employee or the family of a deceased employee in pursuance of the settlement shall be deemed to be an option for the purpose of this Chapter. If such an employee or the family of deceased employee refund within sixty days from the notified date, the amount of the Bank's contribution to the Provident Fund including interest accrued thereon together with a further simple interest in accordance with the provisions of this Chapter and in case employer's contribution of Provident Fund has not been received from Provident Fund Trust, has authorised or authorises within sixty days from the notified date the trustees of the Provident Fund of the Bank to transfer the entire contributions of the Bank to the Provident Fund including interest accrued thereon in accordance with the provisions of this Chapter to the credit of the Fund consistituted for this purpose under regulation 5.

4. Option to subscribe to the Provident Fund.—(1) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (4) of regulation 3, an employee who joins the service of the Bank on or after the notified date at the age of thirty-five years or more, may, within a period of ninety days from the date of his appointment, elect, to forego his right to pension, whereupon these regulations shall not apply to him.

(2) The option referred to in sub-regulation (1) and regulation 3, once exercised, shall be final.

CHAPTER III

THE FUND

5. Constitution of the Fund :—(1) The Bank shall constitute a Fund to be called the State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra, Travancore (Employees') Pension Fund under an irrevocable trust within one hundred twenty days from the notified date.

(2) The Fund shall have for its sole purpose the provision of the payment of pension or family pension in accordance with these regulations to the employee or his family.

(3) The Bank shall be a contributor to the Fund and shall ensure that sufficient sums are placed in it to enable the trustees to make due payments to beneficiaries under these regulations.

6. Liability of the Provident Fund Trust :—The Provident Fund shall, immediately after the constitution of the Fund, transfer to the State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/Travancore (Employees') Pension Fund the accumulated balance of the contribution of the Bank to the Provident Fund and interest accrued thereon upto the date of such transfer in respect of every employee, who exercise their option for pension.

7. Composition of the Fund :—The Fund shall consists of the following, namely :—

(a) the contribution by the Bank at the rate of ten per cent per month of the pay of the employee;

(b) the accumulated contributions of the Bank to the Provident Fund and interest accrued thereon upto the date of such transfer in respect of the employees;

(c) the amount consisting of contributions of the Bank alongwith interest refunded by the employees who had retired before the notified date but who opt for pension in accordance with the provisions contained in these regulations;

(d) the investment in annuities or securities purchased out of the moneys of the Fund and interest thereon;

(e) amount of any capital gains arising from the capital assets of the Fund;

(f) the additional annual contribution made by the Bank in accordance with the provisions contained in regulation 11 of these regulations;

(g) any income from investments of the amounts credited to the Fund;

(h) the amount consisting of contribution of the Bank along with interest refunded by the family of the deceased employee.

8. Board of Trustees :—(1) The Board of trustees shall consist of the directors of the Bank, for the time being.

(2) At every meeting of such trustees, the Chairman of the Bank shall be Chairman of the meeting and in his absence one of the Directors of the Bank shall act as Chairman of the meeting.

(3) The presence of at least 5 trustees of whom one shall be Managing Director of the Bank shall be necessary to form a quorum for the transaction of business. Each trustee shall have one vote and in all cases of an equal division the Chairman shall have a casting vote.

(4) Managing Director of the Bank shall exercise on behalf of the trustees all powers and discretions vested in the trustees in connection with the sanctioning of pensions admissible under these regulations. The trustees may also appoint a committee from their number to carry on other ordinary business of the fund including the sale of securities and investment of funds. Three trustees shall form a quorum of the committee. All decisions of the committee must be unanimous failing which the matter on which there is a division of opinion shall be referred to a meeting of the Board of Trustees.

9. Trustees to carry out the directions of the Bank—The trustees shall comply with all such directions as may be given by the Bank for the proper functioning of the Fund.

10. Books of accounts of the Fund :—(1) The accounts of the Fund, shall contain the particulars of all financial transactions relating to the Fund in such form as may be specified by the Bank.

(2) Within one hundred and eighty days from the closing of each financial year, the trustees shall prepare a financial statement of the fund indicating therein the general account of assets and liabilities of the fund and forward a copy of the same to the Bank.

(3) The accounts of the Fund shall be audited in accordance with the provisions of section 41 of the Act.

11. Acturial investigation of the Fund :—The Bank shall cause an investigation to be made by an Actuary into the financial condition of the Fund every financial year, as on the 31st day of March, and make such additional annual contributions to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under these regulations :

Provided that the Bank shall cause an investigation to be made by an Actuary into the financial condition of the Fund, as on the 31st day of March immediately following the financial year in which the Fund is constituted.

12. Investment of the Fund :—All moneys contributed to the Fund or received or accruing after that date by way of interest or otherwise to the Fund, may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a current account with any scheduled bank or utilised in accordance with the provisions of the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882).

13. Payment out of the Fund :—The payment of benefits by the fund shall be administered for grant of pensionary benefits to the employees of the Bank or the family pension to the families of the deceased employees of the Bank.

CHAPTER IV

QUALIFYING SERVICE

14. Qualifying Service :—Subject to the other conditions contained in these regulations, an employee who has rendered a minimum of ten years of service in the Bank's on the date of his retirement or on the date on which he is deemed to have retired shall qualify for pension.

15. Commencement of qualifying service :—Subject to the provisions contained in these regulations, qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post to which he is appointed on a permanent basis.

16. Counting of service on probation :—Service on probation against a post in the Bank if allowed by confirmation in the same or any other post shall qualify.

17. Counting of periods spent on leave :—All leave during service in the Bank for which leave salary is payable shall count as qualifying service :

Provided that extraordinary leave on loss of pay shall not count as qualifying service except when the sanctioning authority has directed that such leave not exceeding twelve months during the entire service, may count as service for all purposes including pension.

18. Broken period of service of less than one year :—If the period of service of an employee includes broken period of service less than one year, then if such broken period is more than six months, it shall be treated as one year and if such broken period is six months or less it shall be ignored.

19. Counting of period spent on training :—Period spent by an employee on training in the Bank immediately before his appointment shall count as qualifying service.

20. Counting of past service in the erstwhile Bank :—In the case of an employee who is permanently transferred to a service in the Bank from any other Bank on merger, amalgamation of any other Bank with the Bank to which these regulations apply, the continuous service rendered by such an employee in any other Bank on permanent basis, if any, followed without interruption, by permanent appointment, or the continuous service rendered under the Bank in a permanent capacity, as the case may be, shall qualify :

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to any such employee who is appointed on contract basis or on daily wage basis or on consolidated wages.

21. Period of suspension :—Perlod of suspension of an employee pending enquiry shall count for qualifying service where, on conclusion of such enquiry, he has been fully exonerated or the suspension is held to be wholly unjustified, and in other cases, the period of suspension shall not count as qualifying service unless the Competent Authority passing the orders under the Service Regulations or Settlements governing such cases expressly declares at the time that it shall count to such extent as such authority may declare.

22. Event of disqualification :—(1) Resignation or dismissal or removal or termination of an employee from the service of the Bank including that of an employee who is deemed to have voluntarily retired from the Bank's service in terms of the provisions for voluntary cessation of employment contained in Bipartite Settlement shall entail forfeiture of his entire past service and consequently shall not qualify for pensionary benefits;

(2) An interruption in the service of a Bank employee entails forfeiture of his past service, except in the following cases, namely :—

(a) authorised leave of absence :

(b) suspension where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or a different post, or where the bank employee dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of compulsory retirement while under suspension;

(c) transfer to non-qualifying service in an establishment under the control of the Government or Bank if such transfer has been ordered by a competent authority in the public interest;

(d) joining time while on transfer from one post to another.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), the competent authority may, by order, commute retrospectively the periods of absence without leave as extraordinary leave.

(4) (a) In the absence of a specific indication to the contrary in the service record, an interruption between two spells of service rendered by an employee shall be treated as automatically condoned and the pre-interruption service treated as qualifying service;

(b) Nothing in clause (a) shall apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from service of for participation in a strike :

Provided that before making an entry in the service record of the Bank employee regarding forfeiture of past service because of his participation in strike, an opportunity of representation may be given to such bank employees.

23. *Period of deputation to foreign service*—An employee deputed on foreign service to the United Nations or any other foreign body or organisation may at his option,—

(a) pay pension contribution in respect of his foreign service and count such service as qualifying service under these regulations; or

(b) avail of the retirement benefits admissible under the rules of the foreign employer and not count such service as qualifying service under these regulations;

Provided that where an employee opts for clause (a), retirement benefits, shall be payable to him in India in rupees from such date and in such manner as the Bank may, by order specify.

24. *Military Service*—An employee who has rendered military service before appointment in the Bank shall continue to draw the military pension if any, military service rendered by the employee shall not count as qualifying service for pension.

25. *Period of deputation to an organisation in India*—Period of deputation of an employee to another organisation in India will count as qualifying service :

Provided the organisation to which he is deputed or the employee pays the pensionary contributions at the rates specified in sub regulation (a) of regulation 7 of these regulations or at the rates specified by the Bank at the time of deputation, whichever is higher to the Bank.

26. *Addition to qualifying service in special circumstances*—An employee shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension) the actual period not exceeding one fourth of the length of his service or the actual period by which his age at the time of recruitment exceeded the upper age limit specified by the Bank for direct recruitment or a period of five years, whichever is less, if the service or post to which the employee is appointed is one—

(a) for which post-graduate research, or specialist qualification or experience in scientific, technological; or professional fields, is essential; and

(b) to which candidates of age exceeding the upper age limit specified for direct recruitment are normally recruited;

(c) for which the candidate was given age relaxation over and above the maximum age limit fixed by the Bank on account of his possessing higher qualifications or experience :

Provided that this concession shall not be admissible to an employee unless his actual qualifying service at the time he quits the service in the Bank is not less than ten years;

Provided further that this concession shall be admissible if the recruitment rules in respect of the said service or post contain specific provision that the service or post is one which carries benefit of this regulation;

Provided also that the recruitment rules in respect of any service of post which carries the benefit of this regulation shall be made with the approval of the Central Government

27. Counting of service rendered on permanent part-time basis.—(1) In case of an employee who was employed on scale-wages and on a permanent part-time basis in the service of Bank and was contributing to the Provident Fund such service rendered by him on a permanent part-time basis from the date he become a member of the Provident Fund shall be counted as qualifying service.

(2) The length of qualifying service of the employee referred to in sub regulation (1) for the purpose of calculating the amount of pension shall be determined in accordance with Appendix IV.

CHAPTER V

CLASSES OF PENSION

28. Superannuation Pension.—Superannuation pension shall be granted to an employee who has retired on his attaining the age of superannuation specified in the Service Regulations or settlements.

29. Pension on Voluntary Retirement.—(1) On or after the 1st day of November, 1993, at any time after an employee has completed twenty years of qualifying service he may by giving notice of not less than three months in writing to the competent authority retire from service;

Provided that this sub-regulation shall not apply to an employee who is on deputation or on study leave abroad unless after having been transferred or having returned to India he has resumed charge of the post in India and has served for a period of not less than one year;

Provided further that this sub-regulation shall not apply to an employee who seeks retirement from service for being absorbed permanently in an autonomous body or a public sector undertaking or company or institution or body, whether incorporated or not to which he is on deputation at the time of seeking voluntary retirement:

Provided that this sub-regulation shall not apply to an employee who is deemed to have retired in accordance with clause (1) of regulation 2.

(2) The notice of voluntary retirement given under sub-regulation (1) shall require acceptance by the appointing authority :

Provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

(3) (a) An employee referred to in sub-regulation (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons therefor;

(b) On receipt of a request under clause (a), the appointing authority may, subject to the provisions of sub-regulation (2), consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the employee shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months.

(4) An employee, who has elected to retire under this regulation and has given necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority :

Provided that the request for such withdrawal shall be made before the intended date of his retirement.

(5) The qualifying service of an employee retiring voluntarily under this regulation shall be increased by a period not exceeding five years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by such employee shall not in any case exceed thirty-three years and it does not take him beyond the date of superannuation.

(6) The pension of an employee retiring under this regulation shall be fixed on the average emoluments as defined under clause (d) of regulation 2 of these regulations and the increase, not exceeding five years in his qualifying service, shall not entitle him to any notional fixation of pay for the purpose of calculating his pension.

30. Invalid Pension.—(1) Invalid pension may be granted to an employee who —

(a) has rendered minimum ten years of service; and

(b) retires from the service, on or after the 1st day of November, 1993 on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service.

(2) An employee applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity from a medical officer approved by the Bank.

(3) Where the Medical Officer approved by the Bank has declared the employee fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he should, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be admitted to invalid pension.

(4) No medical certificate of incapacity for service may be accepted unless the applicant obtains the medical certificate on production of a letter to show that the Competent Authority is aware of the intention of the applicant to appear before the medical officer approved by the Bank.

(5) The medical officer approved by the Bank shall also be supplied by the Competent Authority under whom the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant.

31. Compassionate Allowance.—(1) An employee, who is dismissed or removed or terminated from service, shall forfeit his pension:

Provided that the authority higher than the authority competent to dismiss or remove or terminate him from service may, if—

(i) such dismissal, removal, or termination is on or after the 1st day of November, 1993; and

(ii) the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of the pension which would have been admissible to him on the basis of the qualifying service rendered up to the date of his dismissal, removal or termination.

(2) The Compassionate Allowance sanctioned under the proviso to sub-regulation (1) shall not be less than the amount of minimum pension payable under regulation 36 of these regulations.

32. Premature Retirement Pension.—Premature Retirement Pension may be granted to an employee who,—

(a) has rendered minimum ten years of service;

(b) retires from service on account of orders of the Bank to retire prematurely in the public interest or for any other reason specified in service regulations or settlement, if otherwise he was entitled to such pension on superannuation on that date.

33. Compulsory Retirement Pension.—(1) An employee compulsorily retired from service as a penalty on or after 1st day of November, 1993 in terms of Service Regulations or Settlement by the authority higher than the authority competent to impose such penalty may be granted pension at a rate not less than two-thirds and not more than full pension admissible to him on the date of his compulsory retirement if otherwise he was entitled to such pension on superannuation on that date.

(2) Whenever the Competent Authority passes an order (whether original, appellate or in exercise of power of review) awarding pension at a rate less than the full pension admissible under these regulations, the Board of Directors or its Executive Committee shall be consulted before such order is passed.

(3) A Pension granted or awarded under sub-regulation (1) or, as the case may be under sub-regulation (2), shall not be less than the amount of rupees three hundred and seventy five per mensem.

34. Payment of pension or family pension in respect of employees who retired or died between 01-01-1986 to 31-10-1993.—(1) Employees who have retired from the service of the Bank between the 1st day of January, 1986 and the 31st day of October, 1993 shall be eligible for pension with effect from the 1st day of November, 1993.

(2) The family of a deceased employee governed by the provisions contained in sub-regulation (7) of regulation 3 shall be eligible for family pension with effect from the 1st day of November, 1993.

CHAPTER VI

RATE OF PENSION

35. Amount of Pension.—(1) In respect of employee who retired between the 1st day of January, 1986 but before the 31st day of October, 1987, basic pension and additional pension will be updated as per the formula given in Appendix—1.

(2) In the case of an employee retiring in accordance with the provisions of the Service Regulations or Settlement after completing a qualifying service of not less than thirty three years the amount of basic pension shall be calculated at fifty per cent of the average emoluments.

(3) Additional pension shall be fifty per cent of the average amount of the allowance drawn by an employee during the last ten months of his service;

(b) no dearness relief shall be paid on the amount of additional pension.

Explanation—For the purpose of this sub-regulation allowances means allowances which are admissible to the extent counted for making contributions to the Provident Fund.

(4) Pension as computed being aggregate of sub-regulations (2) and (3) above shall be subject to the minimum pensoin as specified in these regulations.

(5) An employee who has computed the admissible portion of his pension as per the provisions of regulation 41 of these regulations shall receive only the balance of pension monthly.

(6) (a) In the case of an employee retiring before completing a qualifying service of thirty-three years, but after completing a qualifying service of ten years, the amount of pension shall be proportionate to the amount of pension admissible under sub-regulations (2) and (3) and in no case the amount of pension shall be less than the amount of minimum pension specified in these regulations.

(b) Notwithstanding any thing contained in these regulations, the amount of invalid pension shall not be less than the ordinary rate of family pension which would have been payable to his family in the event of his death while in service.

(7) The amount of pension finally determined under this regulation shall be expressed in whole rupee and where the pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee.

36. Minimum Pension.—The amount of minimum pension shall be—

(a) rupees three hundred and seventy five per month in respect of an employee other than a part-time employee who had retired before the 1st day of November, 1993;

(b) rupees one hundred and twenty five per month in respect of a part-time employee who had retired before the 1st day of November, 1993.

(c) rupees seven hundred and twenty per month in respect of an employee other than part-time employee who retires on or after the 1st day of November, 1993; and

(d) rupees two hundred and forty per month in respect of a part-time employee who retires on or after the 1st day of November, 1993.

37. *Dearness Relief*—(1) Dearness relief shall be granted on basic pnsione or family pnsion or invalid pension or on compassionate allowance in accordance with the rates specified in Appendix II.

(2) Dearness relief shall be allowed on full basic pension even after commutation.

38. Determination of the period of ten months for average emoluments—(1) The period of the preceeding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date of retirement.

(2) In the case of voluntary retirement or premature retirement the period of the preceeding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date on which the employee voluntarily retires or is premature retired by the Bank,

(3) In the case of dismissal or removal or compulsory retirement or termination of service the period of the preceeding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date on which the employee is dismissed or removed or compulsorily retired or terminated by the Bank

(4) If during the last ten months of the service an employee had been absent from duty on extraordinary leave on loss of pay or had been under suspension and the period whereof does not count as service, the aforesaid period of extraordinary leave or suspension shall not be taken into account in the calculation of the average emoluments and an equal period before the ten months shall be included.

CHAPTER VII

FAMILY PENSION

39. Family Pension—(1) Without prejudice to the provisions contained in these regulations where an employee dies—

(a) after completion of one year of continuous services:

or

(b) before completion of one year of continuous service provided the deceased employee concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by a medical officer approved by the Bank and declared fit for employment in the Bank and declared fit for employment in the Bank;

or

(c) after retirement from service and was on the date of death in receipt of a pension, or compassionate allowance;

the family of the deceased shall be entitled to family pension, the amount of which shall be determined in accordance with Appendix III

(2) The amount of family pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the family pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee;

Provided that in no case a family pension in excess of the maximum prescribed under these regulations shall be allowed.

(3) (a) (i) there an employee, who is not governed by the Workmen's Compensation Act 1923 (8 of 1923), dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent. of the pay last drawn or twice the family pension admissible under sub-regulation (1), whichever is less, and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the employee for a period of seven years or for a period up to the date on which the deceased employee would have attained the age of sixty five years had the survived, whichever is less

(ii) In the event of death of an employee after retirement, the family pension as determined under clause (a) or clause (b) of this sub regulation shall be payable for a period of seven years or for a period up to the date on which the retired deceased employee would have attained the age of sixty five years had he survived, whichever is less.

(b) (i) Where an employee, who is governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent of the pay last drawn or one and half times the family pension admissible under sub-regulation (i), whichever is less,

(ii) the family pension so determined under sub-clause (i) shall be payable for the period mentioned in clause (a);

(c) after the expiry of the period referred to in clause (a), the family, in receipt of family pension under that clause or clause (b) shall be entitled to family pension at the rate admissible under sub-regulation (ii).

(4) Notwithstanding anything contained in these regulations where the family of a deceased employee opts for pension in accordance with sub-regulation (5) of regulation 3 or is governed by the provisions contained in sub-regulation (6) or (7) or (8) of regulation 3, such family of the deceased shall be eligible for family pension under these regulations

40. Period of payment of family pension—(1) The period for which family pension is payable shall be—

(a) in the case of a widow or a widower, up to the date of death or re marriage, whichever is earlier;

(b) in the case of a son, until he attains the age of twenty-five years; and

(c) in the case of an unmarried daughter, until she attains the age of twenty-five years or until she gets married, whichever is earlier;

Provided that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely :—

(i) if such son or daughter is one among two or more children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in clause (e) of sub-regulation (i) until the last minor child attains the age of twenty-five years and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disbility of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her for life;

(ii) if there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible;

Provied that where the family pension is payable to such twin children it shall be paid in the manner set out in clause (f) of sub-regulation (i).

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of a physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;

(iv) before the family pension for life to any such son or daughter, the Competent Authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer approved by the Bank, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce every three years a certificate from a medical officer approved by the Bank to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disable.

Explanation.—The grant of family pension to disabled children beyond the age limit specified in this regulation is subject to the following conditions, namely—

(i) a daughter shall become ineligible for family pension under this sub-regulation from the date she gets married;

(ii) the family pension payable to such son or daughter shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood. In such cases it shall be the duty of the guardian or son or daughter to furnish a certificate to the Bank every month that—

(a) he or she has not started earning his or her livelihood;

(b) in case of daughter that she has not yet married;

(d) if a deceased employee or pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child;

(e) family pension to the children shall be payable in the order of their birth and the younger of them shall not be eligible for family pension unless the elder next above him or her has become ineligible for the grant of family pension;

Provided that where the family pension is payable to twin children it shall be paid in the manner set out in clause (f) of the sub-regulation (1);

(f) where the family pension is payable to twin children it shall be paid to such children in equal shares :

Provided that where one such child ceases to be eligible his or her share shall revert to the other child and where both of them cease to be eligible the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children, as the case may be.

(2) Where a deceased employee or a pensioner leaves behind more children than one, the eldest eligible child shall be entitled to the family pension for the period mentioned in clauses (b) or (c) of sub-regulation (1), as the case may be, and after the expiry of that period the next child shall become eligible for the grant of family pension.

(3) Where family pension is granted under this regulation to a minor, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

(4) In case both wife and husband are employees of the Bank and are governed by the provisions of this regulation and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the surviving husband or wife and in the event of death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents subject to the limits specified below, namely—

(a) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rates mentioned in sub-clause (1) of clause (a) and sub-clause (1) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39 the amount of both pensions shall be limited to two thousand five hundred rupees only per mensem in respect of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November 1993 and four thousand eight hundred rupees per mensem only in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November 1993;

(b) if one of the family pensions ceases to be payable at the rates mentioned in sub-clause (1) of clause (a) or sub-clause (1) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39 and in lieu thereof the family pension at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 39 becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to two thousand five hundred rupees per mensem in respect of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November 1993 and four thousand eight hundred rupees per mensem in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November 1993;

(c) if both the family pensions are payable at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 39 the amount of the two pensions shall be limited to one thousand two hundred and fifty rupees per mensem in the case of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November 1993 and two thousand four hundred rupees per mensem in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November 1993.

(5) (a) where family pension is payable to more widows than one (only if it is legally permissible), the family pension shall be paid in equal shares to the widows.

(b) on the death of a widow, her share of the family pension shall become payable to her eligible child :

Provided that if the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her;

(c) where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the employee or pensioner :

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child;

(d) where the family pension is payable to twin children it shall be paid to such children in the manner specified in clause (f) of sub-regulation (1) above;

(e) except as provided in this sub-regulation the family pension shall not be payable to more than one member of the family at he same time.

(6) Where a female employee or male employee dies leaving behind a judicially separated husband or widow and no child or children, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the person surviving :

Provided that where in a case the judicial separation is granted on the ground of adultery and the death of the employee takes place during the period of such judicial separation, the family pension shall not be payable to the person surviving if such person surviving was held guilty of committing adultery.

(7) (a) where a female employee or male employee dies leaving behind a judicially separated husband or widow with a child or children, the family pension payable in respect of the deceased shall be payable to the surviving person provided he or she is the guardian of such child or children;

(b) where the surviving person has ceased to be the guardian of such child or children, such family pension shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children.

(8) If the son or unmarried daughter eligible for the grant of family pension has attained the age of eighteen years, the family pension may be paid to such son or unmarried daughter directly

(9) (a) If a person who, in the event of death of an employee while in service, is eligible to receive family pension under these regulations, is charged with the offence of murdering the employee or for abetting in the commission of such an offence, the claim of such a person, including other eligible member or members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him;

(b) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in clause (a) the person concerned—

(i) is convicted for the murder or abetting in the murder of the employee, such a person shall be debarred from receiving the family pension which shall be payable to the other eligible member of the family, from the date of death of the employee;

(ii) is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the employee, the family pension shall be payable to such a person from the date of death of the bank employee;

(c) the provisions of sub-clauses (a) and (b) shall also apply for the family pension becoming payable on the death of an employee after his retirement.

CHAPTER VIII

COMMUTATION

41. Commutation—(1) An employee shall be entitled to commute for a lump sum payment of a fraction not exceeding one-third of his pension :

Provided that in respect of an employee who is governed by sub-regulation (5) of regulation 3 of these regulations, the family of such employee shall also be entitled to commute for a lump sum payment a fraction not exceeding one-third of the pension admissible to the employee.

(2) An employee shall indicate the fraction of pension which he desires to commute and may either indicate the maximum limit of one-third pension or such lower limit as he may desire to commute.

(3) If fraction of pension to be commuted results in fraction of rupee, such fraction of a rupee shall be ignored for the purpose of commutation.

(4) The lump sum payable to an applicant shall be calculated in accordance with the Table given below :—

TABLE

Commutation values for pa pension of Rs. one per Annum.

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
1	2	3	4
17	19.28	51	12 95
18	19 20	52	12 66
19	19 11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.10
24	18 59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18 34	60	10 13
27	18 21	61	9.81
28	18 07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17 46	66	8.17
33	17.29	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16 92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.60
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6·01
40	15.87	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4 90
44	14 90	78	4 65
45	14 64	79	4.40
46	14.37	80	4· 17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

Notes—

(1) The Table above indicates the commuted value of pension expressed as number of years' purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday. The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 10.46 years' purchase and, therefore, if he commutes rupees one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum amount payable to him works out to Rs. 100 x 10.466 x 12=Rs. 12.552.

(2) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation.

(3) An applicant who is authorised a superannuation pension, voluntary retirement pension, premature retirement pension, compulsory retirement pension, invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations.

(4) In the case of a pensioner eligible for superannuation pension or pension on voluntary retirement or premature retirement pension, no medical examination shall be necessary, if the application for commutation is made within one year from the date of retirement. However, if such a pensioner applies for commutation of pension after one year from the date of his retirement, the same will be permitted subject to medical examination.

Explanation—An applicant who—

(i) retires on invalid pension under regulation 30 of these regulations; or

(ii) is in receipt of compassionate allowance under regulation 31 of these regulations; or

(iii) is compulsory retired by the Bank and is eligible for compulsory retirement pension under regulation 33.

shall be eligible to commute a fraction of his pension subject to the limit specified in sub-regulation (1) after he has been declared fit by a medical officer approved by the Bank.

(5) The commutation of pension shall become absolute in the case of an employee—

(a) retiring on superannuation or voluntary retirement who submits an application for commutation of pension before the date of retirement, on the date following the date of retirement :

Provided that the employee governed by sub-regulation (3) of regulation 29 shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months and the commutation of pension shall become absolute only on the expiry of the period of notice referred to in sub-regulation (1) of regulation 29;

(b) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after the date of retirement but before the completion of one year from the date of retirement, on the date the application for commutation is received by the Competent Authority;

(c) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after one year from the date of retirement, on the date of the medical certificate given by a medical officer approved by the Bank;

(d) who has retired prior to the 1st day of November, 1993 and who opts to be governed by these regulations, on the 1st day of November, 1993, where the application for commutation is made within the period specified by clause (b) of the sub regulation (1) of regulation 3;

(e) who was in the service of the Bank on or after the 1st day of November, 1993 but who retired prior to the publication of these regulations on the day immediately following the date of his retirement, where the application is made within the period specified by clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 3;

(f) who retired on or after the 1st day of November, 1993, but died prior to the notified date, on the day immediately following the date of his retirement, where the application for commutation is made by the family of the deceased within the period specified by clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 3;

(g) in respect of whom invalid pension under regulation 30 or compassionate allowance under regulation 31 or compulsory retirement under regulation 33 is admissible, commutation shall become absolute on the date of the medical certificate given by a medical officer approved by the Bank.

CHAPTER IX

GENERAL CONDITIONS

42. Pension subject to future good conduct—Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these regulations.

43. Withholding or withdrawal of pension—The Competent Authority may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or criminal breach of trust or forgery or acting fraudulently or is found guilty of grave misconduct :

Provided that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the minimum pension per mensem payable under these regulations.

44. *Conviction by Court*—Where a pensioner is convicted of a serious crime by a Court of Law, action shall be taken in the light of the judgement of the court relating to such conviction.

45. *Pensioner guilty of grave misconduct*—In a case not falling under regulation 44 if the Competent Authority considers that the pensioner is *prima facie* guilty of grave misconduct it shall, before passing an order, follow the procedure specified in the Service Regulations or in Settlement as the case may be.

46. *Provisional Pension*—(1) An employee who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings are continued, a provisional pension, equal to the maximum pension which would have been admissible to him, would be allowed subject to adjustment against final retirement benefits sanctioned to him, upon conclusion of the proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld etc., either permanently or for a specified period.

(2) In such cases the gratuity shall not be paid to such an employee until the conclusion of the proceedings against him. The gratuity shall be paid to him on conclusion of the proceedings subject to the decision of the proceedings. Any recoveries to be made from an employee shall be adjusted against the amount of gratuity payable.

Explanation—In this chapter—

(a) the expression 'serious crime' includes a crime involving an offence under the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923);

(b) the expression "grave misconduct" includes the communication or disclosure of any secret official code or password or any sketch, plan, model, article, note, document or information, such as is mentioned in section 5 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) which was obtained while holding office in the Bank so as to prejudicially affect the interests of the general public or the security of the State

(c) the expression "fraudulently" shall have the meaning assigned to it under section 25 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

(d) the expression "criminal breach of trust" shall have the meaning assigned to it under section 405 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)

(e) the expression "forgery" shall have the meaning assigned to it under section 463 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

47. *Commutation of pension during departmental or judicial proceedings*—An employee against whom departmental or judicial proceedings have been instituted before the date of his retirement or a person against whom such proceedings are instituted after the date of his retirement shall not be eligible to commute a fraction of his provisional pension, or pension, as the case may be, authorised under these regulations during the pendency of such proceedings.

48. *Recovery of Pecuniary loss caused to the Bank*—(1) The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or acts done fraudulently during the period of his service :

Provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed :

Provided further that departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall, after the retirement of the employee, be deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service :

Provided also that no departmental or judicial proceedings, if not initiated while the employee was in service, shall be instituted in respect of a cause of action which arose or in respect of an event which took place more than four years before such institution

(2) Where the Competent Authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of the employee :

Provided that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations.

49. *Recovery of Bank's dues*—The Bank shall be entitled to recover the dues to the Bank on account of housing loans, advances, licence fees other recoveries and recoveries due to staff co-operative credit society from the commutation value of the pension or the pension or the family pension.

50. *Commercial employment after retirement*—(1) If a pensioner who immediately before his retirement was holding the post of an officer and wishes to accept any commercial employment before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the Bank to such acceptance :

(2) Subject to the provision of sub-regulation (3), the Bank may, by order in writing, on the application by a pensioner, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such pensioner to take up the commercial employment specified in the application

(3) In granting or refusing permission under sub-regulation (2) to a pensioner for taking up any commercial employment, the Bank shall have regard to the following factors, namely

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the Bank;

(c) whether the pensioner while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to seek employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such pensioner had shown favours to such employer;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with Bank;

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under Bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

(f) the emoluments offered by the proposed employer; and

(g) any other relevant factor.

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (3), the Bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the Bank shall be deemed to have granted the permission applied for :

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the Bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the Bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the Bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the Bank may make such orders thereon as it deems fit :

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the pensioner making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) If any pensioner takes up any commercial employment at any time before the expiry of two years from the date of his retirement without the prior permission of the Bank or commits a breach of any condition subject to such permission to take up any commercial employment has been granted to him under this regulation, it shall be competent for the Bank to declare by order in writing and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and for such periods as may be specified in the order :

Provided that no such order shall be made without giving the pensioner concerned an opportunity of show cause against such declaration :

Provided further that in making any order under this sub-regulation, the Bank shall have regard to the following factors, namely : —

(i) the financial circumstances of the pensioner concerned;

(ii) the nature of, and the emoluments from, the commercial employment taken up by the pensioner concerned; and

(iii) any other relevant factor.

(7) Every order passed by the Bank under this regulation shall be communicated to the pensioner concerned.

(8) In this regulation the expression "commercial employment" means

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking

company) and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect of which the pensioner—

(a) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or

(c) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the Bank.

Explanation—For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

51. *Nomination*—(1) The trust shall allow every employee governed by these regulations to make a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount of pensionary benefits under these regulations in the event of his death before that amount becomes payable or, having become payable, has not been paid. Such nomination shall be made in such form as may be specified by the Bank from time to time.

(2) If any employee nominates more than one person under sub-regulation (1), he shall, in his nomination, specify the amount or share payable to each of the nominees in such a manner as to cover the whole of the amount of the pensionary benefits that may be payable in the event of his death.

(3) A nomination made by an employee may, at any time, be modified or revoked by him after giving a written notice to the trust of his intention of doing so in such form as the Bank may from time to time specify.

(4) A nomination or its revocation or its modification shall take effect to the extent it is valid on the date on which it is received by the trust.

52. Date from which pension becomes payable—(1) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 43 and regulation 46 apply a pension other than family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires.

(2) Family pension shall become payable from the date following the date of death of the employee or the pensioner.

(3) Pension including family pension shall be payable for the day on which its recipient dies.

53. *Currency in which pension is payable*—All pensions admissible under these regulations shall be payable in rupees in India only.

54. *Manner of payment of pension*—A pension fixed at a monthly rate shall be payable monthly on or after the first day of the following month.

55. *Power to issue instructions*—The Chairman or Managing Director of the Bank may from time to time issue instructions as may be considered necessary or expedient for the implementation of these regulations.

56. *Residuary provisions*—In case of doubt in the matter of application of these regulations, regard may be had to the corresponding provisions of Central Civil Services Rules, 1972, or Central Civil Service (Commutation of Pension) Rules, 1981 applicable for Central Government employees with such exceptions and modifications as the State Bank of India in consultation with the Board of Directors of the Bank and with the approval of the Reserve Bank of India may from time to time determine.

Appendix—1

(See regulation 35)

The formula of updating basic pension and additional pension in respect of employees who retired between the 1st day of January 1986 and the 31st day of October 1987 shall be as under :

A. (1) Basic pension shall be increased by an amount of:—

(a) 50 per cent of first Rs. 1000 of the average emoluments reckonable for pension. Rs. _ _ _

(b) 45 per cent. of next Rs. 500 . . . . . Rs. _ _ _ _ _ _

(c) 40 per cent. of the average emoluments reckonable for pension exceeding Rs. 1500 Rs. _

Total of (a+b+c) . . . . . Rs. _ _ _ _ _ _ (A)

B. 50 per cent. of the average monthly emoluments for the last 10 months in service prior to retirement . . . . . Rs. _ _ _ _ (B)

C Dearness Relief at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, on basic pension calculated at (1) above, as per table given below . . . . . Rs. _ _ (C)

D. Total increased basic pension =(B)+(C) x Number of years of qualifying service (Maximum 33 years) . . . Rs (D)

33

E. Basic Pension as on 1-11-1993 (Rounded off to the next higher rupee) . . . . Rs. _ _ _ _ _ (E)

(2) For increase in the additional pension, amount of special allowances copied for making contributions to Provident Fund will be increased with reference to the quantum of special allowances ranking for Provident Fund as per the Service Regulations or Settlements, as the case may be.

TABLE

Rates of dearness relief worked out at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the services 1960=100 for all classes of employees who retired during the period 1-11-1986 to 31-10-87

(a) Employees in subordinate staff cadre	80.40 per cent of pension calculated at A(1) above
(b) Employees in clerical staff cadre drawing pension upto Rs. 756/- per month	67 per cent of pension calculated at A(1) above

(c) Employees in Clerical Staff cadre drawing pension of Rs. 757/- per month and above will be eligible for dearness relief as under :

Amount of basic pension drawn per month Rs.	The amount of dearness relief admissible Rs.
757 - 796	508 00
797 - 804	534.00
805 824	540 00
825 - 844	553 00
845 - 864	567.00
865 — 884	580.00
885 904	593 00
905 - 924	607.00
925 944	620 00
945 - 964	634.00
965 984	647.00
985 1004	660.00
1005 - 1024	674 00
1025 . 1044	687.00
1045 - 1064	701.00
1065 — 1084	714.00
1085 & above	727.00

(d) Employees in officer cadre shall be eligible for dearness relief as under :

(i) For those drawing basic pension upto Rs. 765/- per month;	66 per cent. of the amount of pension calculated as at A(1) above subject to a maximum of Rs. 500.
(ii) For those drawing base pension from Rs.766/- to Rs. 1165/- per month;	Rs 500i
(iii) For those drawing basic pension of Rs. 1166/- per month or above;	42.90 per cent of amount of pension calculated as at A(1) above subject to a maximum of Rs 715.

Appendix-II

(See regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under : —

(1) In the case of employees who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of November, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the service 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension.
(i) upto Rs 1250 . .	0 67 per cent.
(ii) Rs. 1251 to Rs. 2000 .	0 67 per cent of Rs 1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs. 1250.
(iii) Rs. 2001 to Rs. 2130 .	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0 55 per cent. of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0 33 per cent of basic pension in excess of Rs. 2000.
(iv) above Rs. 2130 . .	0 67 per cent of Rs 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs 1250 plus 0 33 per cent of the difference between Rs 2130 and Rs. 2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130.

(2) In the case of employees who retire on or after the 1st day of November, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the service 1960=100 Such increase or decrease in dearsess relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(i) upto Rs. 2400 . .	0.35 per cent.
(ii) Rs. 2401 to Rs. 3850 .	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs. 2400
(iii) Rs 3851 to Rs. 4100	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs 2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 3850
(iv) above Rs. 4100 . .	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs 2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs. 4100 and Rs. 3850 plus 0 09 per cent of basic pension in excess of Rs. 4100.

(3) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and endnig with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.

(4) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.

(5) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.

(6) Dearness relief is not payable on additional pension.

Appendix III

(See regulation 39)

The ordinary rates of family pension shall be as under :

(a) In respect of employees other than part-time employees retired before 1-11-1993.

Scale of pay per month	Amount of monthly Family Pension
Upto Rs. 1500 . . .	30 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 375 per month.
Rs. 1501 to Rs. 3000 . .	20 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 20 per cent. of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 450 per month.
Above Rs. 3000 . . .	15 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent. of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension shall not be less than Rs. 600 per month and more than Rs. 1250 per month.

(b) In respect of employees other than part time employees retired or retiring on or after 1-11-1993.

Scale of pay per month	Amount of monthly Family Pension
(1)	(2)
Upto Rs. 2870 . . .	30 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of the allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 720 per month.
Rs. 2871 to Rs. 5740 . .	20 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 20 per cent. of the allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 860 per month.
Above Rs. 5740 . . .	15 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent. of the allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1150 per month and maximum of Rs. 2400 per month.

Notes :—

(1) Dearness relief is not payable on additional family pension.

(2) Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of "Pay" as defined in sub-clause (r) of regulation 2 and "allowances" as defined in the explanation to sub-regulation (3) of regulation 33.

(3) In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wage drawn by the employee.

Appendix-IV

(See regulation 27)

Actual service on scale wages rendered on permanent part-time basis in one week	Length of corresponding qualifying service for each year of service rendered on permanent part-time basis for calculating the amount of pension
(1)	(2)
six hours or more but upto 13 hours;	One third of a year.
more than 13 hours but upto 19 hours;	one half of a year
more than 19 hours but upto 29 hours;	three fourth of a year
more than 29 hours; . .	one year.

UNITED BANK OF INDIA

PERSONNEL ADMN. (OFFICER EMPLOYEES) DIVISION

HEAD OFFICE, CALCUTTA-700001

Sl. No. 2/95.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970)/1980, the Board of Directors of UNITED BANK OF INDIA in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulation further to amend the UNITED BANK OF INDIA

(OFFICERS') SERVICE REGULATIONS, 1979.

Short Title and Commencement :

1. These Regulations may be called the UNITED BANK OF INDIA (OFFICERS') SERVICE (AMENDMENT) REGULATION, 1995.

2. These Regulations shall come into force from 20-6-95.

ANNEXURE

3. Existing Regulation No. 20 may be substituted as follows :

Text of Existing Provision	Text of amendment Regulation
	AS PER ANNEXURE

A. RAY
General Manager
(Personnel)

REGULATION 20 (1) ; Termination of Service

Existing Regulation	Revised Regulation
1	2
(Struck down by the Hon'ble Supreme Court) Subject to Sub-regulation (3) of Regulation 16, the Bank may terminate the services of any Officer by giving him three months' notice in writing or by paying three months emoluments in lieu thereof.	(a) Subject to sub-regulation (3) of regulation 16, where the Bank is satisfied that the performance of an officer is unsatisfactory or inadequate or there is a bonafide suspicion about his integrity or his retention in the Bank's service would be prejudicial to the interests of the Bank, and where it is not possible or expedient to proceed against him as per the disciplinary procedure, the Bank may terminate his services on giving him three months' notice or emoluments in lieu thereof in accordance with the guidelines issued by the Government from time to time. (b) Order of termination under this sub regulation shall not be made unless such officer has been given a reasonable opportunity of making a representation to the Bank against the proposed order. (c) The decision to terminate the services of an Officer employee under Sub-regulation (a) above will be taken only by the Chairman and Managing Director. (d) The Officer employee shall be entitled to appeal against any order passed under Sub-regulation (a) above by preferring an appeal within 15 days to the Board of Directors of the Bank. If the appeal is allowed, the order under Sub-regulation (a) shall stand cancelled. e) Where an Officer employee whose services have been terminated and who has been paid an amount of three months emoluments in lieu of notice and on appeal his termination is cancelled, the amount paid to him in lieu of notice shall be adjusted against the salary that he would have earned, had his services not been terminated and he shall continue in the Bank's employment on the terms and conditions as if the order of termination had not been passed at all. f) An Officer employee whose services are terminated under sub-regulation (a) above shall be paid Gratuity, Provident Fund including employer's contribution and all other dues that may be admissible to him as per rules notwithstanding the years of service rendered. g) Nothing contained hereinabove will affect the Bank's right to retire an Officer employee under Regulation 19 (1).
REGULATION 20 (2) : An Officer shall not leave or discontinue his service in the Bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue the service or resign. The period of notice required shall be three months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these Regulations. Provided that the Competent Authority may reduce the period of three months or remit the requirement of notice.	An Officer shall not leave or discontinue his service in the Bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue his service or resign. The period of notice required shall be 3 months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these regulations. Provided further that the competent authority may reduce the period of 3 months, or remit the requirement of notice.
REGULATION 20 (3) :	

1	2
Regulatjon 20(3) (a) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-reg· lation (2) an Officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave/discontinue or resign from his service in the Bank without the prior approval in writing of the Competent Authority and any notice of resigaation given by such an Officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.	(j) An officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave/discontinue or resign from his service in the Bank without the prior approval in writing of Competent authority and any notice or resignation given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority,
(b) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this Regulation if he has been pleced under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him or where any chargesheet has been issued against him and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Co n petent Authority.	(ii) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings shall not be instituted against him and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.
(c) An officer under suspension on a charge of misconduct shall not be retired or permitted to retire on his reaching the date of compulsory retirement, but shall be retained in service until the enquiry into the charge is concluded and a final order is passed thereon.	(iii) The officer against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer will not receive any pay and/or allowances after the date of superannuation. He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contributions to CPF.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi 110002, the 26th February 1996

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. ANCA(4)/1/95-96.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(a) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of the Institute on account of death the names of the following members w.e.f. the date mentioned against their names :—

Sl. No.	M.No.	Name & Address	Date of Removal
1.	15	Shri Prithi Raj Mehra H.O. 56, Daryaganj, New Delhi-110002	27-09-1995
2.	216	Shri Sohan Lal Khindaria S-66, Panch Shila Park, New Delhi-110017	17-02-1995
3.	433	Shri K. Venkataraman C/o M/s. D. Singh & Co. C-97, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017	20-04-1995
4.	3098	Shri Siri Ram Kapur R-289C, Greater Kailash-I, New Delhi-110048	11-02-1995
5.	8859	Shri Ramesh Chand Gupta 1C/13, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi-110005	13-02-1995
6.	17761	Shri Swatantar Kumar Jain 1/1293, Naiwala, Karol Bagh, New Delhi-110005	15-05-1995

A. K. MAJUMDAR
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 15th February 1996

No. U-16/53/91-Med.II(T.N.).—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, I hereby extend the services of Dr. K. R. Subramaniam, to function as Medical Authority for further one year (wef 24-1-96 to 23-1-97) or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Coimbatore centre and the areas to be allocated by the Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone), at a monthly remuneration in accordance wtih existing norms for the purpose of medical examination of Insured Persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General.

The 28th February 1996

No. U-16/53/91-Med.II(AP.)Col.I.— In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, I hereby extend the services of Dy. Director Insurance Medical Services, Vijayawada to function as Medical Authority for further one year (wef 19-11-95 to 18-11-96) or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Vijayawada centre and the areas to be allocated by the Regional Dy. Medical Commissioner (South East Zone), at a monthly remuneration in accordance with existing norms for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General.

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

CENTRAL OFFICE

New Delhi-110 015, the 11th March 1996

No. 2/1959 DLI/Exemp/89/Pt. I/694.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, H. W. T. SYIEM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Sec. 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, H.W.T. SYEIM, hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Tamil Nadu from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

Schedule-I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective date of exemption	CPFC's File No.
1.	M/s. Gonal Metal Containers (P) Ltd., Plot 8(NP) Guindy Industrial Estate, Ekkattuthanagal Madras-97.	TN/6943	1-5-92 to 30-4-95 1-5-95 to 30-4-98	DLI/14 (128)/ 95/TN
2.	M/s. S.R.P. Tools Ltd., Entrance No. 110, Lattice Bridge Road, Madras-41.	TN/5178	1-6-92 to 31-5-95 & 1-6-95 to 31-5-98	DLI/14(124)/ 95(TN)
3.	M/s. Dun & Brad Street Satyam Software, 226, Cathedral Road, Madras-86.	TN/31309	1-11-94 to 31-10-97	DL/I14(126)/ 95/TN
4	M/s. Igenesis Software Service (I) Pvt. Ltd., 6/6, Crown count, 34, Cathedral Road, Madras-86	TN/31256	1-9-94 to 31-8-97	DLI/14(125)/ 95/DLI
5	M/s. Syndicate Exports (P) Ltd., Shed No. 5, Nehrunagar, Karamadai-641104.	TN/25989	1-9-93 to 31-7-96	DLI/14(129)/ 95/TN
6	M/s. Aurelic Processing Systems Proyogasala Kottakuppam, Pondichery.	PC/262	1-3-90 to 28-2-93 & 1-3-93 to 29-2-96	DLI/14(117)/ 95-TN
7	M/s. Samson Rubber Industries (P) Ltd., Plot No. 3, Sidco Industrial Estate, Ambattur, Madras-94.	TN/10179	1-7-92 to 30-6-95 & 1-7-95 to 30-6-98	DLI/14(116)/ 95/TN
8.	M/s. Aruna Sugars Finance Ltd., No. 145, Sterling Rd., Madras-34.	TN/19925	1-2-95 to 31-1-98	DLI/14/(137)/ 95/TN
9.	M/s. Sanmac Motor Finance Ltd., JVL Plaza Ground Floor No. 501, Anna Salai, Madras-18.	TN/19915	1-11-94 to 31-10-97	DLI/14/(133)/ 95/TN
10.	M/s. Ind. Bank Housing Ltd., No. 178, Nungambakkam High Rd., Madras-34.	TN/30444	1-7-93 to 30-6-96	DLI/14(134)/ 95/TN
11.	M/s. The Tamilnadu Development Corpn. No. 759, Anna Salai, Madras-2.	TN/9055	1-1-92 to 31-12-94 & 1-1-95 to 31-12-97	DLI/14(135)/ 95/TN
12.	M/s. Sholingar Textiles Ltd., Post Bag No. 1, Arakonam Road, Sholingur, N.A.A. Distt.-631 102.	TN/6294	1-11-92 to 31-12-94 & 1-1-94 to 31-12-96	DLI/14(90)/ 95/TN
13.	M/s. Tiruppattur Co-op. Sugar Mills Ltd., Kethandapatti, N.A.A. Dist.-635 815.	TN/11146	1-2-90 to 31-1-93 & 1-2-93 to 31-1-96	DLI/14(136)/ 95/TN

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when ammended, alongwth translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Schame are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

H. W. T. SYIEM
Central Provident Fund Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996.